

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 सितम्बर, 1989

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 13 सितम्बर, 1989

पृष्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(3)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)6
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)31
अध्यक्ष द्वारा औब्जर्वे ान:—	

सर्वश्री राजेन्द्र चौधरी और सीता राम जिन्दल के विरुद्ध वि. शेषाधिकार मामले पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे संबन्धी	(3)33
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(3)35
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:—	
यमुना नदी द्वारा हरियाणा की ओर बढ़ रहे भूमि कटाव संबन्धी	(3)36
वक्तव्य:—	
राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबन्धी	(3)37
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:—	
भारी वर्षा के कारण अम्बाला तथा कुरुक्षेत्र के गांवों में हुए नुकसान सम्बन्धी	(3)39
वक्तव्य:—	
राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबन्धी	(3)40
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)44
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)44
बिलज:—	

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 3) बिल, 1989	(3)45
(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमेंट) बिल, 1989	(3)47
वाक आउट	(3)48
बिलजः—	
(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमेंट) बिल, 1989 (पुनरारम्भ)	(3)49
(iii) दि पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमेंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1989	(3)51
(iv) दि हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1989	(3)54
(v) दि हरियाणा कौरनियल ग्राफटिंग (अमैंडमेंट) बिल, 1989	(3)56
(vi) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिंड अमैंडमेंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1989	(3)57

## हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 13 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

### भाोक प्रस्ताव

**Mr. Speaker:** Now a Minister will make obituary reference.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, यह सदन वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी पंडित लेख राम के 12 सितम्बर, 1989 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक व्यक्त करता है।

पंडित लेख राम का जन्म सन् 1901 में गांव ढींगसारा, जिला हिसार में हुआ। उन्होंने हिसार में शिक्षा ग्रहण की और वहीं से मैट्रिक की परीक्षा पास की। नौजवानी में ही वे स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े जिस के फलस्वरूप 1922 से 1924 तक उन्होंने दो साल की कैद काटी।

कैद से छूटने के बाद पंडित जी ने दो वर्ष तक लाहौर में रह कर आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अपने लाहौर निवास के दौरान वे श्री य. आ. पाल और श्री धन्वंतरी जैसे क्रान्तिकारियों के

सम्पर्क में आये और श्री भगत सिंह व श्री चन्द्र भोखर के नेतृत्व में गठित हिन्दुस्तान रैवोल्यूशनरी सोशलिस्ट आर्मी के सदस्य बने।

वे सन् 1926 से 1930 तक रोहतक में वैद्य के रूप में कार्य करते रहे। इस बीच उन्होंने अपने घर के अन्दर गुप्त रूप से बम बनाने की फैक्टरी लगायी। उन्हीं के द्वारा निर्मित बम ही क्रान्तिकारियों द्वारा सन् 1929 में दिल्ली के अन्दर वायसराय लार्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए प्रयोग किये गये। इस बम काण्ड के बाद वे दूसरे क्रान्तिकारियों की तरह अन्दर ग्राउन्ड हो गये और सन् 1947 तक अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आये। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने अपना जीवन समाज सुधार के लिए अर्पित कर दिया।

उनके निधन से देश एक महान् देशभक्त और वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके भाोक ग्रस्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है।

स्पीकर साहब, मुझे भी उनके दर्शन करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब 1959-60 में हमने प्रैक्टिस करनी भुरू की तो उस समय पं. लेख राम जी हिसार में ही रहते थे।

उन्होंने वहां पर एक छोटी सी दुकान ली हुई थी और वहां वे आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस किया करते थे। जब हम नए-नए वकील बन कर आये तो उस समय पंडित जी का नाम बड़ा चर्चित रहता था। हम भी उनकी दुकान पर कभी कभार चले जाया करते थे। उनकी बहुत सी अच्छी सेहत थी। वे अपनी मूंछों को ताव देकर रखते थे। वे खद्दर का चुस्त पाजामा और गोल गले का कुर्ता पहनते थे। जो भी व्यक्ति 5-10 मिनट के लिए उनके सम्पर्क में आता था, उसके मन में पंडित जी के अभक्ति कूट-कूट कर भरने की कोशिश करते थे। उनकी बात करने की शैली ऐसी थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। ऐसे व्यक्ति का क्या चरित्र था वह भी मैं आपको बताता हूं। वे 1947 तक हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। उन्होंने बम तक तैयार किए और उनके तैयार किए गए बम फैंके भी गए। जब देश आजाद हो गया तो पंडित जी राजनीति को छोड़ कर समाज सुधान आन्दोलन में चले गए। स्पीकर साहब, उस पीढ़ी के लोग एक-एक करके हमारे से बिछुड़ कर जा रहे हैं। अगर हम लोग यानी आज के राजनीतिक लोग उनके जीवन से कुछ आचार व्यवहार सीखें तो हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन्हें देता हूं।

**उप-मुख्य मंत्री (डा० मंगल सैन):** अध्यक्ष महोदय, कल भाम से ही यह समाचार आ रहे थे कि पंडित जी बहुत ज्यादा बीमार है। आज सुबह समाचार पत्रों से ही पता चला कि उनका

निधन हो गया है। पंडित जी हिसार जिले में जन्मे। 1948 में जब मैं रोहतक आया, तो उस समय मैंने उनके दर्शन किए। जब हम आये तो उस समय वे वहां पर एक छोटी सी दुकान पर वैद्य का काम करते थे। उनके एक चचेरे भाई आर0एस0एस0 के कार्यकर्ता थे। उन्होंने मुझे पंडित जी से मिलवाया। उसके बाद मेरा उनके पास उठना बैठना हो गया। स्पीकर सर, उस समय के भासकों ने चूंकि हमारे संगठन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था इसलिए हम खुले रूप में काम नहीं कर सकते थे। मैं उनके पास कई बार बैठता और उनसे पूछता पंडित जी, हमें भी अण्डरग्राउन्ड रह कर काम करने का तरीका बताइये, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो वे कहते थे कि आप ठीक काम कर रहे हो। उनके निकट बैठकर ऐसा लगता था जैसे देवताभक्त की प्रत्यक्ष प्रतिमा सामने बैठी हो। अध्यक्ष महोदय, वायसराय पर बम फैंकना और पुलिस की आंखों से बच निकलना यह तो कल्पना की बात लगती है लेकिन इन महापुरुषों ने यह काम किया था। जब उनसे पूछा जाता कि आप आजादी की लड़ाई में क्यों कूदे तो वे कहते थे कि इस देश की आजादी पर अंग्रेजों ने हथकड़ियां और बेड़ियां लगा रखी थी इसलिए इस गुलामी से निजात पाने के लिए हमने ऐसा किया। उन्होंने अपनी सारी जवानी आजादी के संघर्ष में लगा दी। स्पीकर सर, आज हम जिस आजादी का रसास्वादन कर रहे हैं, जिस लोकतन्त्र में बैठे हुए हम अधिकारों बकी चर्चा करते हैं और अधिकारों का इस्तेमा कर रहे हैं, यह सारी देन इन्हीं महापुरुषों की ही है। इनके बिना तो हम इस आजादी की कल्पना भी नहीं कर सकते

थे। स्पीकर सर, मेरे काबिल साथी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने यह बात ठीक ही कही हैं कि भानैः भानैः वह पीढ़ी खत्म होती जा रही है जिनकी राजनीति मूल्यों पर आधारित थी, जिनकी रराजनीति व्यवसाय या व्यापार नहीं थी, जिनकी राजनीति रोजी-रोटी का साधन नहीं थीं। वे अपनी जान हथेली पर रखकर संघर्ष करते थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं किया कि हम भी कभी सत्ता का रसास्वादन करें। उस महान पुरुश के जाने से केवल उनके परिवार का ही कष्ट नहीं हुआ बल्कि सारा दे । और समाज उनके निधन से दुखी है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके सम्मान में सदन की कार्यवाही दो घंटे के लिए स्थगित कर दी जाए या कार्यालयों में आधे दिन का अवका । कर दिया जाए। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से महान दिवंगत महापुरुश को श्रद्धाजंलि प्रदान करता हूं।

**उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारी तरफ से संसदीय कार्यमंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बोल चुके हैं और मेरे बोलने की कोई आव यकता नहीं थी परन्तु मैं चूंकि पंडित लेख राम जी के साथ बहुत लम्बे समय तक रहा इसलिए मैं आज उनके स्वर्गवास हो जाने पर अपने उद्गार व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बतलाया गया है पंडित जी बहुत ही बहादुर, त्यागवीर और सच्चे दे । सेवक थे। उन्होंने अत्यन्त साहसिक



काम किया। उस जमाने में वे रोहतक में वैद्य की दुकान करते थे लेकिन कहां बैठकर बम तैयार करते थे इसका किसी को कानों कान पता नहीं था। वायसराय पर जो बम फैंका गया, वे उसमें शामिल थे और भूमिगत हो कर काम करते रहे। अंग्रेजों की पुलिस उनके पीछे लगी रही लेकिन वे कभी पकड़े नहीं जा सके। फिर वे गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन में चले गये और वहां कार्य करते रहे और कई बार गिरफ्तार भी हुए। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अचरज की बात है, बड़ा भारी ताज्जुब होता है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने कभी सत्ता में भागीदारी नहीं की और समाज सेवक बन गये। 6-7 साल तक हम कांग्रेस कमेटी में काम करते रहे। चौधरी देवी लाल के साथ ही हम काम किया करते थे। डाक्टर साहब उन दिनों रोहतक छोड़कर हिसार आ गये थे। जब मैं रोहतक दफतर में तीन चार दिन के लिए ठहरता था तो उनका कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मेरे पास आकर नहीं बैठते थे। वे इस बात पर अपने बहुत उद्गार व्यक्त किया करते थे कि हमने जो स्वाधीनता का संघर्ष किया था, वह ऐसी आजादी के लिए नहीं किया था। उनके दिल में दर्द था, पीड़ा थी कि हमने संघर्ष देा के गरीब लोगों के लिए किया था। गांधी जी का स्वप्न था कि हम हिन्दुस्तान को आजाद तब समझेंगे जब हिन्दुस्तान के चालीस करोड़ लोगों में से किसी की भी आंख में आंसू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं देखता हूँ कि कितने लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आसू है। उनको दर्द था इस बात का कि गरीबों की मदद हो। मैंने कई बार उनसे कहा कि

आपका नाम किसी हल्के से रिकमेंड करा देते है। आप विधान सभा में जायें और वहां पर अपनी आवाज उठाये। उन्होंने कहा कि मैं किसी सत्ता में या राजनीति में भाग नहीं लेना चाहता। मेरा कर्तव्य था, मेरे दिल में आजादी हासिल करते की भूख थी, इसलिए मैंने यह लड़ाई लड़ी थी अब दे । आजाद हो गया इसलिए मेरा उद्देश्य मेरा स्वप्न उसके अनुरूप पूरा हो गया है। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे आखिर तक समाज सुधार के काम में लगे रहे। जीवन पर्यन्त अपने लाभ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए कभी उन्होंने चेश्टा नहीं की। वे ऐसे विचित्र व्यक्ति थे। कल उनका स्वर्गवास हो गया। वैसे तो सारे हिन्दुस्तान के लोगों को दुख होना चाहिए लेकिन हरियाणा के लोगों को खासतौर पर बड़ा दर्द एवं दुःख है। हम इसके सिवाए कुछ नहीं कर सकते कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनको सद्गति दे, उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करें। इन भुभकामनाओं के सिवाए हम और कुछ नहीं कर सकते। बस, यही उद्गार उनके प्रति मैं प्रकट करना चाहता था।

**श्री हरनाम सिंह ( गाहबाद):** अध्यक्ष महोदय, पंडित लेख राम जी के निधन से बड़ा दुख है। हरियाणा ने एक महान् सपूत को खो दिया। उन्होंने दे । की आजादी के लिए महान् कुर्बनी की। आज वे हमारे बीच से चले गये है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता था लेकिन जिस प्रकार से हमारे पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने बताया है कि उन्होंने दे । के

लिए बड़ी भारी कुर्बानी की थी, मैं उनको हार्दिक रूप से श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे हमारे जो माहन दे भक्त, जिन्होंने दे आ की आजादी के लिये कुर्बानी की है, उनकी लगातार याद ताजी रहनी चाहिए। उन दे भक्तों की पीढ़ी के बारे में हमारी ओर आगे आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए कि किस तरह से हमारे दे के लिए उन लोगों ने कुर्बानी की है। उनकी क्या कि किस तरह से हमारे दे के लिए उन लोगों ने कुर्बानी की है। उनकी क्या आ गये थी, वे कैसे लोग थे उन्होंने दे के लिए क्या कुर्बानी की थी, इस बात का सभी को पता होना चाहिये। इस वक्त मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमारे हाउस के नेता ने दे आ की आजादी के लिये बड़ी भारी कुर्बानी की है। इसलिये हमारे स्कूलों में पांचवी औद छठी क्लास के अन्दर ऐसी किताब लगनी चाहिए हमारे जिससे उनके बारे में बच्चों को पता लग सके कि हमारे दे भक्तों ने दे आ की आजादी के लिए क्या काम किया है। हरियाणा में दे भक्तों ने जो कुर्बानी की है, उनके जीवन के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए ताकि हमारी अगली पीढ़ी शिक्षित हो। हमने आज दे आ की अखण्डता के लिए, उत्थार के लिए अगर नयी पीढ़ी को शिक्षित करना है तो उन लोगों का इतिहास कक्षाओं में लगा कर शिक्षित कर सकते हैं। यही उनके प्रति एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी कि हम उनका जीवन परिचय बच्चों को दे। इन भावों के साथ मैं उन्हें फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

**मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल):** स्पीकर साहब, जिस महान हस्ती को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करें रहे हैं वह भारत का एक महान सपूत था। परसों ही मुझे के एस० डी० एम० के पास थे। एस० डी० एम० श्री जो जी को उन्होंने गोद लिया हुआ था। श्री जो जी ही उनकी देखभाल किया करते थे। उन्हें देखकर जब मैं वहां से वापिस आया तो मैंने आ कर कहा था कि उनकी हालत नाजुक है और भायद आज या कल तक उनका स्वर्गवास हो जाये और वही हुआ। हमें इतलाह मिली कि कल भाम छः बजे उनका देहन्त हो गया है। मैंने उसी वक्त फेसला कर लिया था और डाक्टर साहब ने जो सुझाव दिया था उसके मुताबिक ही मैंने कहा था कि ऐसे महान क्रान्तिकारी नेता का सरकारी सम्मान के साथ दाह संस्कार होना चाहिये। तीन बजे का दाह संस्कार का वक्त मुकर्रर किया है। मैं चाहता हूँ कि सभी वहां पर पहुंचना चाहिये। जब सन् 1928 में साईमन कमीशन लाहौर आया था तो उनके साथ मैं भी मौके पर मौजूद था। उस समय जो लाठी चार्ज हुआ, उसका उन दिनों बहुत प्रभाव था। पढ़े लिखे नौजावनों पर बहुत असर था। यही कारण था कि सन् 1929 में लार्ड इरविन जब दिल्ली जा रहा था तो इन्होंने बम्ब से उन पर हमला किया। खुफिस्ती में लार्ड इरविन तो बच गये लेकिन उनके साथ का सारा कम्पार्टमेंट उड़ गया। उसके बाद वे अन्डरग्राउंड रहे। हमें बाद मैं भी मिलते रहे। उन्होंने कभी कुछ नहीं जाहिर की उनकी कुर्बानी में कुछ बदला मिले। मैंने यह मुनासिब समझा कि ऐसे क्रान्तिकारी को जिन्होंने देना की आजादी में मुसीबत उठाई हो

और अपनी जिदंगी को दांव पर लगाया हो, कुछ दिया जाये। सरकार की तरफ से उनको पेंान तो हैं लेकिन मैंने एक कार भी उनके हवाले की। इसी तरह से हमारे बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनकी याद हमें रखनी चाहिए। डाक्टर हरनाम सिंह जी ने ठीक ही कहा हं। उनका कहना बिल्कुल बजा हैं। मैं एक किताब लार्ड कर्जन टू नेहरू पढ़ रहा था। उसमें ऐसे क्रांतिकारी का कहीं रैफरेंस ही नहीं हैं। ऐसे अजीब-अजीब आदमियों का जिक्र था जिन्होंने देा के लिये कुछ किया ही नहीं।। लेकिन उनका नाम हिस्टरी में आ गया। देा में इन्कलाब आया। देा में ऐसे हालात पैदा हुए लेकिन उनका कहीं हिस्टरी में नाम ही नहीं हैं। फिर मैंने इस क्रांतिकारी के बारे में में जो पता लगा, वह आपके सामने है। मैं समझता हूं कि ऐसे क्रांतिकारीयो के लिये पूरी श्रद्धा के साथ हमें वहां मौके पर पहुंचना चाहिये। मैंने यह फेसला किया हं कि सरकारी सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जायेगा। ऐसा हाने से हमारे दूसरे क्रांतिकारियों को कुछ एहसास हो जायेगा हमारी कदर की जा रही हैं। यह कह कर मैं भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब मैं स्पीकर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वे भी अपने ख्यालात का इजहार करें।

**श्री अध्यक्ष:** आनरेबल, मैम्बर्ज कल सुबह तकरीबन सवा नौ बजे मुख्य मंत्री जी ने जो मुझे बताया वह यह कि पंडित जी की हालत बहुत नाजुक हैं। वह आज का दिन निकाल नहीं पायेंगे। मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा कि आदमी कई कफा बीमार हो जाता

हैं और दो तीन तक लमक जाता है ठीक हो जाएंगे। ये कहते नहीं, अब उम्मीद नहीं रही। अब पंडित जी हमारे बीच में चले जायेंगे। सी० एम० साहब, बड़े दुःखी थे। जब भाम को पता चला कि पंडित जी हमारे बीच में से चले गये तो मुझे बहुत दुःख हुआ। पंडित जी के साथ मेरे जाति तौर पर कोई ताल्लुकात नहीं थे। मुझे पंडित जी से मिलने का मौका भी नहीं मिला लेकिन जो सुना है वह लड़ाई में उन्होंने जो बढ़-चढ़ कर हिस्सा डाला वह एक यूनीक हिस्सा है। मैं सारे हाउस की फीलिंगज उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि पंडित जी की रूह की भान्ति के लिये दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत नेता के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

### **Opening of Model School in Hathin Constituency**

**\*996. Shri Bhagwan Sahai Rawat:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Mewat Development Board to open a Model School in Hathin constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid school is likely to be opened?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh)%

(a) There is a proposal to open a Model School in Hathin Block by the Mewat Model School Societyt, Gurgaon.

(b) During the 8<sup>th</sup> Five Year plan period.

श्री भगवान सहाय रावत: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड ने शिक्षा पर कितना खर्च किया है और हथीन ब्लौक का उसमें से कितना हिस्सा है?

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड के धन से केवल दो स्कूल अभी चालू हैं। एक स्कूल नूह में और दूसरा फिरोजपुर झिरका में चालू हैं। दोनों स्कूलों की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा दरकार था, वह मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड द्वारा खर्च किया गया है और जो रैंकरिंग ऐक्स पैन्सिज इन दोनों स्कूलज का है, वह भी मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड से मीटर किया जाता है।

**श्री जगन नाथ:** अध्यक्ष महोदय, ये जो मौडल स्कूलज और पलिक स्कूलज खोले जा रहे हैं इनमें किसान और मजदूर के बच्चों को दाखिला नहीं मिला पाता है और अगर किसी को मिल भी जाता है तो वह खर्चा बर्दात नहीं कर सकता। जिस तरह से चौधरी देवी लाल कहते हैं।

**श्री अध्यक्ष महोदय:** आपकी भी आदत चौधरी महेन्द्र प्रताप की तरह से ही हैं। आप भी इधर उधर चल जाते हैं। You put the supplementary question straight away and to the point.

**श्री जगन नाथ:** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि मौडल स्कूल्ज और पब्लिक स्कूल्ज बन्द होने चाहिये और सब को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिये। क्या मंत्री महोदय, जैसा चौधरी देवी लाल जी कहते हैं कि सब के लिए एक सामान शिक्षा होनी चाहिये पर विचार करेंगे?

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस किया गया था कि मेवात का इलाका चूंकि बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिए मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया गया था। खर्च के लिये मुखतलिफ महकमों का जो बजट में प्रोवीजन होता था, उस इलाके में डिवैल्पमेंट करने के लिए कुछ अधिक खर्च मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड करता है। वहां पर एजुकेशन सोसायटी एजुकेशन देने के लिये बनाई गई। उस एजुकेशन सोसायटी ने दो स्कूल दो खोले। मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड ने फेसला किया कि इन स्कूलों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। अब हम ने यह फेसला किया है कि उन स्कूल्ज में जो गरीब बच्चे दाखिल हों, उनको स्कौलरशिप दिया जाए। स्कौलरशिप की योजना इसलिए भुरु की गई, जिससे कि गरीब होनहार बच्चे अच्छी एजुकेशन से वंचित न रह



जाएं और स्कौलरशिप से उनकी मदद हो सके। ऐसा न हो कि वे धनके अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त न कर सकें।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 1980 में मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया गया था। इसमें छः ब्लॉक पड़ते हैं और हथीन इनमें से एक हैं। इसका हिस्सा 17 प्रतिशत बनता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या हथीन ब्लॉक पर 17 परसेंट जो उसका हिस्सा बनाता है, खर्च किया जा रहा है? 1989-89 की योजना में तावडू, पर साढ़े बारह लाख और नूंह तथा फिरोजपुर झिरका पर तीस लाख खर्च किया जाएगा। क्या मंत्री महोदय हथीन में भी जितना उसका हिस्सा बनता है, खर्च करने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, सवाल केवल ऐजुकेशन और स्कूल खोलने से संबधित हैं। अभी दो स्कूल खोले गए हैं। चार स्कूल आठवीं पंचवर्षीय योजना में कब यह स्कूल बनेगा यह कमिटीमेंट अभी नहीं की जा सकती।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मेवात मौडल स्कूल सोसायटी का अभी जिक्र किया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सोसायटी सरकार के अधीन है या प्राइवेट संस्था है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां मौडल स्कूल खोलने का विचार है?

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, मेवात मौडल स्कूल सोसायटी क्षेत्र के चेयरमैन है। कुछ एम0 पीज0 व तीन लोकल एम0 एल0 एज0 इसके मैम्बरज है। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरैन्टस को भी हम इस के अन्दर नौमीनेट करते हैं। इस तरह से लोगों की मिली जुली यह एक सोसायटी हैं। चूंकि डिप्टी कमिशनर इसके चेयरमैन हैं, इसलिये सरकार का इससे दखल हैं।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि मेवात एरिया के अन्दर मौडल स्कूलज खोले जा रहे हैं क्योंकि वह क्षेत्र शिक्षा के लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो दूसरे क्षेत्र प्रकार से शिक्षा के लिहाज से पिछड़े हुए हैं, वहां भी इस तरह के मौडल स्कूलज या दूसरे कौमन खोलने का सरकार विचार रखती हैं?

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, यह मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड उस विशेष पिछड़े इलाके के लिये बनाया गया है ताकि उस इलाके के पिछड़पने को दूर किया जा सकें। अब लोहारू के लिये तो कोई अलग से डिवैल्पमेंट बोर्ड हैं नहीं। यह मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड जितने इलाके को कवर करेगा, केवल उसी इलाके में मौडल स्कूल खोलने का सरकार का विचार हैं। जहां तक कौमन स्कूलज खोलने का सवाल हैं, यह विभाग बहन सुशमा जी का हैं। जब इस तरह का कोई सवाल आयेगा तो आर्य साहब उन से इस बारे में पूछ सकते हैं।

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, इसी महीने की पांच तारीख को पंचों व सरपंचों के सम्मुख के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री खंडेलवाल ने, यह घोषणा की थी कि वहां पर अगले सै ान से मौडल स्कूल खोल दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्यायह मौडल स्कूल इसी चालू वर्ष की योजना में खोले दिया जाएगा या कि वास्तव में अगले सै ान से खोला जाएगा जैसाकि उन्होंने कहा है?

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, मैंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड जो बनाया गया है, वह एक विशेष पिछड़े हुए इलाके के लिये बनाया गया है। जो मौडल स्कूल खोले जाएंगे, उनमें कितने बच्चे दाखिल होंगे, यह सारी बात इसी पर ही निर्भर करती है। अगर पांच बच्चे दाखिल होंगे तो पांच को स्टाईपेंड दिया जाएगा और अगर 50 बच्चे दाखिल होंगे, तो 50 को स्टाईपेंड दिया जाएगा।

#### **Income accrued from Liquor Vends in the State**

**\*966. Shri Surinder Kumar Madan:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the total income accrued from the auction of country made liquor and Indian made foreign liquor Vends in the State during the years 1987-88 and 1988-89, separately?

**अबकारी तथा कराधान मंत्री (राव राम नारायण):**

वर्ष	अंग्रेजी भाराब के ठेकों की नीलामी से प्राप्त राजस्व (रूपयों)	दे ि भाराब के ठेकों की नीलामी से प्राप्त राजस्व (रूपयों)
1987-88	2219558000	640500000
1988-89	265514000	760787000

### 10.00 बजे

**श्री सुरेन्द्र कुमार मदान:** अध्यक्ष महोदय अभी मंत्री जी ने बताया कि अंग्रेजी भाराब से वर्ष 1987-88 के मुकाबले वर्ष 1988-89 में लगभग 4 करोड़ 36 लाख रूपए का ज्यादा मुनाफा हुआ और देसी भाराब से लगभग 12 करोड़ रूपए का ज्यादा बढ़ी हैं, अगर उनकी आमदनी को निकाल दिया जाए तो भी इनको कुछ आमदनी हुई हैं या नहीं?

**श्री अध्यक्ष:** अगर ठेके बढ़े हैं तो हल्के छोटे हो गए।

**श्री रघु यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय आबकारी तथा कराधान मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि यह सरकार और इसके अबकारी एवं कराधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन्होंने 1988-89 में भाराब के जरिए पिछले साल की अपेक्षा लगभग 16 करोड़ रूपए अधिक कमाए। यह अलग बात है

कि भिवानी में जहरीली भाराब पीकर 11 लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा (भाोर)।

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है। आप रैलेवैन्ट सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं।

श्री रघू यादव: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी आबकारी नीति को और उदार बनाएंगे और जिन गांवों में अभी ठेके नहीं हैं वहां भी ठेके खोलेगे? (भाोर)

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि हर साल फ्री औक्सन होती है। हर साल बोली ज्यादा होती है इसलिए आमदनी ज्यादा होती है। इसके अलावा पीने वाले भी बढ़ जाते हैं।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भाराब पिलाने में बढ़ौतरी करने के लिये कोई ऐडवरटाइजमेंट भी जरूरी है ताकि गांवों में ठेके ऐक्सटैंड किये जा सकें।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो यह कि अहातों से कुल कितनी आमदनी हुई है और दूसरे पंचायतों को इन ठेकों से कितने आमदनी हुई है और इसका रिकार्ड कौन रखता है? इसके अलावा पंचायतों की आमदनी का जो हिस्सा है वह उनको कब मिलेगा?

**चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो यह कि आहतों से कुल कितनी आमदनी हुई है और दूसरे पंचायतों को इन ठेकों से कितनी आमदनी हुई है और इसका रिकार्ड कौन रखता है? इसके अलावा पंचायतों की आमदनी का जो हिस्सा है वह उनको कब मिलेगा?

**राव राम नारायण:** स्पीकर साहब, हम 15 हजार रुपये फी अहाता लेते हैं। इसी तरह से सब-वैंड से भी हजार फी बैड लेते हैं। टोटल आमदनी कितनी हुई है, उसके लिए अलग से नोटिस देना पड़ेगा।

**श्री सुरेन्द्र कुमार मदान:** स्पीकर साहब, मेरा तो साफ सुथरा सवाल था। उसका जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि जो 4 करोड़ 36 लाख रुपये अंग्रेजी भाराब के ठेकों की बढ़ौत्तरी हुई है और जो इस वर्ष ठेके बढ़ाए गए हैं उनसे जो आमदनी में बढ़ौत्तरी हुई है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो भी आमदनी बड़ी है या नहीं?

**श्री अध्यक्ष:** यह बात पहले हो ली है।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देसी और अंग्रेजी भाराब कितने कितने प्रफू बनती हैं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1987-88 में देसी भाराब को कितने प्रफू लीटर कोटा था और वर्ष 1988-89 में कितना था।

**Mr. Speaker:** Kadyan Sahib, it is not possible to give this information off hand. It will require a separate notice.

श्री हरनाम: स्पीकर साहब, इन्सान के लिए भाराब कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भाराब पर ऐक्साइज ड्यूटी से सरकार कोई और रास्ता अपनाएगी ताकि हरियाणा प्रदेश में भाराब बंद हो सके? ( गोर)

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, यह गवर्नमेंट की पालिसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐक्साइज ड्यूटी से सरकार को बहुत भारी आमदनी होती है, इसलिये इसको फोर-गो नहीं किया जा सकता है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए होल, कंट्री में प्रोहिबिशन लागू करेगी और हमें किसी और भोश में कम्पनसेट करेगी तो हम इसको बन्द कर सकते हैं।

पंडित वासु देव भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जो भिवानी ठेके पर हूच ट्रेजडी हुई थी.....। भाोर

**Mr. Speaker:** Sharma ji, please read the question first. It relates to income from liquor vends.

पंडित वासु देव भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक हैं कि भिवानी में जिस भाराब के ठेके पर हूच ट्रैजडी हुई थी, उसी ठेके के साथ एक और ठेका खोला गया हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहां पर जो दूसरा भाराब का ठेका खोला गया हैं, क्या वह ठेका भार्ते पूरी करता हैं।?

**Mr. Speaker:** Sharma ji, it is not possible to give reply to this supplementary. इनके पास कोई कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम तो हैं नहीं कि बदन दबाया और ठेके का नाम आया।

पंडित वासु देव भार्मा: स्पीकर साहब, उस भाराब के ठेके के पास स्कूल, मंदिन और एक आश्रम हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सप्लीमेंटरी इस ढंग से पुट करें कि वहां पर जो दूसरा भाराब का ठेका खोला गया हैं, वह उन इंस्टीच्यू ाज से कितनी दूरी पर हैं?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, कोई भी भाराब का ठेका हो, वह ऐसी इंस्टीच्यू ाज से 100 मीटर की दूरी पर खोला जा सकता हैं। वह भाराब का ठेका भी इन इंस्टीच्यू ाज से 100 मीटर की दूरी पर जरूर होगा।

श्री क्रान्ति प्रका ा भल्ला: स्पीकर साहब, भाराब के ठेके के वैन्ड खोलने का जो नया भारू किया गया हैं.....भाोर.....

श्री अध्यक्ष: भल्ला साहब, यह इू नहीं हैं। Please take your seat.



**श्री जगन नाथ:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा है कि भाराब के ठेके बंद करना बहुत मुश्किल है। मंत्री जी की यह बात ठीक है क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी युग में दारू या नशा बिल्कुल बन्द नहीं हुआ। मैं आपके बन्द नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो देसी या प्रदेशी दारू बिकती है, क्या उसकी ठीक क्वालिटी का प्रावधान करेंगे, क्योंकि उसमें पानी या स्पिरिट की मिलावट की जाती है?

**राव राम नारायण:** स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार की पालिसी तो ठीक भाराब देने की ही है। अगर कोई अनस्कूलस आदमी इस किस्म की मिलावट करता है तो माननीय सदस्य उसको पकड़वाए उसके खिलाफ चालान करवाया जाएगा और उसको सजा दिलवाई जाएगी।

**श्री कैलाश चन्द भार्मा:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने फरमाया कि एक अहाते से 15 हजार रूपए सालाना आमदनी होते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस साल बीयर बार के लिए किस-किस जिले में कितनी लाइसेन्स दिए गए और किस नाम पर दिए गए।

**श्री सुरेन्द्र कुमार मदान:** स्पीकर साहब, मेरा तो साफ सुथरा सवाल था। उसका जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि जो 4 करोड़ 36 लाख रूपए अंग्रेजी भाराब के ठेकों से

बढौत्तरी हुई हैं और अगर उसको निकाल दिया जाए तो भी आमदनी बढी है या नहीं?

**श्री अध्यक्ष:** यह बात पहले हो ली है।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देसी और अग्रेजी भाराब कितने प्रूफ लिटर बनती हैं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1987-88 में देसी भाराब का कितने प्रूफ लीटर कोटा था और वर्ष 1988-89 में कितना था।

**Mr. Speaker:** Kadyan Sahib, it not possible to give this information off hand. It will require a separate notice.

**श्री हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, इन्सान के लिए भाराब कोई अच्छी चीज नहीं है इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भाराब पर ऐक्साइज ड्यूटी से सरकार को जो आमदनी होते हैं, क्या उस आमदनी की सब्स्टीच्यू उन के लिये सरकार कोई रास्ता अपनाएगी ताकि हरियाणा प्रदेा में भाराब बंद हो सके? ( गोंर)

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, यह गवर्नमेंट की पालिसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐक्साइज ड्यूटी से सरकार को बहुत भारी आमदनी होती है, इसलिये इसको फोर-गो नहीं किया जा सकता। यदि गवर्नर औफ इंडिया एज ए होल, कंट्री में प्रोहिबिशन लागू करेगी और हमें किसी और भोप में कम्पनसेट करेगी तो हम इसको बन्द कर सकते हैं।

पंडित वासु देव भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जो भिवानी ठेके पर हच ट्रैजडी हुई थी.....। ( गोर)

**Mr. Speaker:** Sharma ji, please read the question first. It relates to income from liquor vends.

पंडित वासु देव भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक है कि भिवानी में जिस भाराब के ठेके पर हच ट्रैजडी हुई थी, उसी ठेके के साथ एक और ठेका खोला गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां पर जो दूसरा भाराब का ठेका खोला गया है, क्या वह ठेका सभी भातें पूरा करता है?

**Mr. Speaker:** Sharma ji, it is not possible to give reply to this supplemenaty. इनके पास कोई कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम तो है नहीं कि बटन दबाया और ठेके का नाम निकल आया।

पंडित वासु देव भार्मा: स्पीकर साहब, उस भाराब के ठेके के पास स्कूल, मंदिन और एक आश्रम हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आप अपनी सप्लीमेंटरी इस ढंग से पुट करं कि वहां पर जो दूसरा भाराब का ठेका खोला गया है, वह उन इंस्टीच्यू ांज से कितनी दूरी पर हैं?

**पंडित वासु देव भार्मा:** स्पीकर साहब, मेरा यही सवाल है कि वहां पर जो दूसरा भाराब का ठेका खोला गया है। वह उन इंस्टीच्यू ांज से कितनी दूरी पर खोला गया है और क्या वह सभी भार्ते पूरी करता है?

**राव राम नारायण:** स्पीकर साहब, कोई भी भाराब का ठेका हो, वह ऐसी इंस्टीच्यू ांज से 100 मीटर की दूरी पर खोला जा सकता है। वह भाराब का ठेका भी इन इंस्टीच्यू ांज से 100 मीटर की दूरी पर जरूर होगा।

**श्री कान्ति प्रका ा भल्ला:** स्पीकर साहब, भाराब के ठेके के साथ वैन्ड खोलने को जो नया सिस्टम भुरू किया गया है.....( ाोर)

**श्री अध्यक्ष:** भल्ला साहब, यह ई ू नहीं है। Please take your seat.

**श्री जगन नाथ:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा है कि भाराब के ठेके बंद करना बहुत मुि कल है। मंत्री महोदय ने कहा है कि भाराब के ठेके बंद करना बहुत मुि कल है। मंत्री जी की यह बात ठीक है क्योंकि किसी भी दे ा में, किसी भी युग में दारू या न ाा बिल्कुल बंद नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री

जी से यह जानना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो दसी या प्रदेशी दारू बिकती हैं, क्या उसकी ठीक क्वालिटी का प्रावधान करेंगे क्योंकि उसमें पानी या स्पिरिट की मिलावट की जाती है?

**राव राम नारायण:** स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार की पालिसी तो ठीक भाराब देने की ही हैं। अगर कोई अनस्कूप्लस आदमी इस किस्म की मिलावट करता है तो माननीय सदस्य उसको पकड़वाएँ उसके खिलाफ चालान करवाया जाएगा और उसको सजा दिलवाई जाएगी।

**श्री कैलाश चन्द्र भार्मा:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने फरमाया कि एक अहाते से 15 हजार रूपए सालाना आमदनी होती है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस साल बीयर बार के लिए किस-किस जिले में कितने कितने लाईसैन्स दिए गए और किस नाम पर दिए गए।

**श्री अध्यक्ष:** यह बताना बहुत मुश्किल है इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए। अब तो रतन लाल कटारिया सप्लीमेंटरी करेंगे Which will be the last supplementary on this question. I will not allow anybody else to raise any more supplementary on this question.

**श्री रतन लाल कटारिया:** स्पीकर साहब, मैं आपको माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब सरकार भाराब बेचने की नीति बनाती है तो क्या उस समय भाराब की बिक्री से होने वाली आमदनी के साथ-साथ इस बात पर भी विचार

किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हम किस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण करने जा रहे हैं क्योंकि भाराब आदमी के लिये कोई अच्छे चीज नहीं हैं?

**श्री अध्यक्ष:** कटारिया साहब, मैं तो यह सोच रहा था कि आप यह पूछेंगे कि भाराब में हरिजनों को कितना कनसै इन मिलेगा। (हंसी)

**उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास):** अध्यक्ष महोदय, अभी आपने देखा कि इस भाराब सम्बन्धी प्रश्न पर हमारे बहुत सारे विधायकों ने बड़ी दिलचस्पी ली है और काफी सवालात पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले अधिवेशन के दौरान इस संबंध में मैंने अपनी बात हाउस में कही थी। यह बुराई केवल हरियाणा में ही नहीं है, बल्कि सारे देश में ही है। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारा देश वैस्टर्नाइज्ड होता जा रहा है हमारे यहां पश्चिमी सभ्यता का खान-पान रहन-सहन और वे अभूषण समाज का एक अंग बनता जा रहा है। ज्यों ज्यों हम सभ्यता को अपनाते जाएंगे, त्यों त्यों हमारे यहां भाराब की आदत बढ़ी जायेगी इसको हम रोक नहीं सकते। मैं डॉक्टर हरनाम सिंह जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि गुजरात के अन्दर बहुत अरसे से भाराब बन्द है। मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वहां पर भाराब बंदी के बावजूद भाराब बननी या बेची जानी बंद हुई है? मैं इन्हें और हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी

कि गुजरात राज्य के अन्दर बड़े लार्ज स्केल पर भाराब निकलती हैं। वहां पर भाराब गैंग के गैंग निकलाते हैं और टंकियां पर भर कर एक दूसरे स्थान पर ले जा कर बेचते हैं। पिछले मुझे ये बातें मेरे वहां पर रहने वाले एक रि तेदार ने अपने अनुभव के आधार पर बताई थी।

**श्री रघु यादव:** अध्यक्ष महोदय, यह क्वै चर आवर हैं। इस समय ये यहां पर कोई भाशण नहीं दे सकते। (विध्न)

**श्री बनारसी दास:** अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाशण नहीं दे रहा। मैं तो माननीय सदस्यों ने जो सवाल किए हैं, उनके बारे में सरकार की स्थिति कर रहा हूं। अभी राव साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि तमाम भारतवर्ष में भाराब बंदी की जायेगी तो हरियाणा प्रदे 1 भाराब बंदी के मामले में सबसे आगे रहेगा। मंत्री महोद ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि यदि केन्द्र सरकार हमको भाराब बंदी से हुए नुकसान की भरपाई करे और सारे दे 1 में भाराब बंदी लागू करे तो हम किसी पीछे नहीं रहेंगे। यही बात मैं अपने सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता था।

#### Samples of Roads Bridges and Buildings

\*971. Pandit Vasu Dev Sharma

Shri Hira Nand Arya:- Will the Minister for P.W.D. (B &R) be pleased to state-

(a) whether any samples of the Roads, Bridges and Buildings under construction were were got anaysed by the

Research Laboratories of the Department during the years 1986-87, 1987-88, 1988-89 and 1989-90 (to-date); if so, the year-wise number thereof; and

(b) whether any of the samples out of those referred to in part (a) above were found sub-standard; if so, the details thereof together with the action taken thereon.

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न के लिए गवर्नमेंट ने ऐक्सटैन्शन मांगी है जोकि ग्रांट कर दी गई। इस बारे में संबंधित मंत्री से आया पत्र इस प्रकार है:

Interim Reply

Do. Letter No.  
29/42/89/

भ0 स0: (ब) -5

“O.P. BHARDWAJ

Minister

Public Works (B&R),

Haryana Chandigarh.

Dated 12-9-89

विशय: ताराकित विधान सभा प्रश्न नं० 971 जो श्री वासुदेव भार्मा विधायक तथा श्री हीरानन्द आर्य, विधायक द्वारा पूछा गया है।

प्रिय श्री चट्ठा साहब,



विधान सभा की कार्य सूची दिनांक 13-9-89 में तारांकित विधान सभा प्र न नं० 971 जो कि श्री वासुदेव भार्मा विधायक तथा श्री हीरा नन्द आर्य विधायक द्वारा पूछा गया है, उत्तर के लिये भामिल किया हुआ है। इसके बारे मैंने यह कहना है कि इसका उत्तर अभी तैयार नहीं है। सदस्यों महोदय द्वारा मांगी गई सूचना लोक निर्माण भवन तथा सड़के विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की जानी है जिसके एकत्र करने में काफी समय मिलेगा। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि तारांकित प्र न नं० 971 के उत्तर के लिये कृपया और समय दिया जाये।

सादर।

आपका

हा

(ओम प्रकाश भारद्वाज)

श्री एच० एस० चट्टा

अध्यक्ष

हरियाणा विधान सभा।”

**Pass percentage of Privat Government Aided  
Schools and Government Scholls in the State**

**\*949. Shri Durga Datt Attri:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of Boys and Girls students appeared in the examination of class VIII and X during the year 1987-88 and 1988-89; and

(b) the pass percentage of private Government aided and Government schools, separately together with the pass percentage of those students who appeared in these examinations privately?

**श्री अध्यक्ष:** इस प्रश्न के लिये गवर्नमेंट ने ऐक्सटैन्शन मांगी है जोकि ग्रांट कर दी गई है। इस बारे में संबंधित मंत्री से आया पत्र इस प्रकार है:—

Interim Reply

अ0स0प0क्र0 32/20/89 ि I III-

(5)

“श्रीमति सुशमा स्वराज  
हरियाणा

शिक्षा मंत्री,

दिनांक 12 सितम्बर, 1989

विशय: राज्य के प्राइवेट सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा राजकीय स्कूलों की पास प्रतिशत।

प्रिय चट्टा जी,

तारांकित प्र न नं० 945 जो विधान सभा में दिनांक 13-9-89 करे लगा हुआ है, में प्राइवेट (अनुदान प्राप्त) स्कूलों की पास प्रति ता बारे सूचना मांगी गई है। यह सूचना अलग से विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा के पास उपलब्ध नहीं है। उनके पास उक्त सूचना सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों अनुदान प्राप्त तथा बिना अनुदान वाले) की उपलब्ध है। अतः समयाभाव के कारण सदन को ठीक सूचना देना संभव नहीं है

अतः आप से अनुरोध है कि इस प्र न के लिये कम से कम दो मास का समय और दिया जाए ताकि बोर्ड अनुदान प्राप्त एवं बिना अनुदान वाले स्कूलों की सूचना पृथक पृथक दे सके। असुविधा के लिये खेद है।

सादर

भुभेच्छु

ह०

सुशमा स्वराज

श्री एच०एस० चट्टा,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

Science Classes in Government College, Hodel

\*988. Shri Udai Bhan: Will the Miinister for Education be pleased to state-

(a)whether it is fact that Science Classes were started in the Government College, Hodel and later discontinued during the Year 1985-86; it so, the reasons therefor;and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to re-start the Science Classes in theaforesaid College; if so, the time by which the classes are likely to be started?

ि ाक्षा मंत्री (श्रीमती सुशमा स्वराज)

(क) नहीं जी।

(ख) राजकीय महाविद्यालय, होडल में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हैं। अन्तिम निर्णय साईंस ब्लौक/प्रयोग ाला के पूर्ण होने पर लिया जायेगा।

**श्री उदय भान:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जुलाई-अगस्त 1986 में यहां पर साईंस की क्लासिज के दाखिले भुरू हो गए थे। यदि दाखिले भुरू हो गए थे बाद में क्या तत्कालीन बंसी लाल जी की सरकार ने उन क्लासिज को भिवानी में ट्रांसफर तो नहीं कर दिया थ?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** वह तथ्य नहीं नहीं हैं कि वहां पर जुलाई 1986 के दाखिले भुरु हो गये थे। प्र न का भाग इसी तरह का ही था जिसके जवाब में भी यही कहा है।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि वे इस बारे में पुनः स्थिति चैक कर ले। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि वहां पर साईस प्रयोग ाला कब तक खोले जाने की संभावना है?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूं कि सारी चीजें स्पष्ट करने के बाद और प्रमाणिकता के आधार पर ही हाउस में जवाब देती हू। मैंने ये फैक्ट्स वैरीफाई करवाई हैं कि वहां पर साईस क्लासिज न तो कभी खोली गई हैं और न ही कभी बन्द की गई। जहां तक इनका दूसरा सवाल है कि वहां पर साईस की क्लासिज कब तक खोली दी जाएंगी उस संबंध में मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि वहां पर साईस क्लासिज खोलने के लिए 8.66 लाख रुपये की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवाल दे दी गई है। ये प्रयोग ालाएं अगले सत्र तक बनकर तैयार हो जाएंगी और अगले साल से ही वहां पर साईस की क्लासिज भुरु हो जाएंगी।

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने साईस क्लासिज खोलने के लिए "साईस" की भार्ते

लगाई हैं। होडल का कालेज 4 कमरो में चल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा क्या साईस ब्लॉक बनाने के लिए और बिल्डिंग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार क विचारधीन हैं?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष जी, यह टेकन ओवर कालेज है जिसमें केवल एक एकड़ भूमि है और बिल्डिंग बनी हुई है। यह बिल्डिंग छोटी है इस बिल्डिंग को बढ़ने के लिए और जगह ऐक्वायर की जानी है। जमीन ऐक्वायर करने के लिए लैण्ड ऐक्विजिशन की प्रोसीडिंगज होने के बाद ही बिल्डिंग बनाने की कार्यवाही करेंगे। बिल्डिंग बढ़ाने की बात पहले से ही सरकारी के ध्यान में है।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा मंत्री महोदय बहुत ही योग्य मंत्री हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस समय हरियाणा में कितने ऐसे कालेज हैं जहां साईस ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन कब तक हो जाएगी?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा में 16 सरकारी और 34 गैर सरकारी कॉलेजिज ऐसे हैं जहां पर साईस ब्लॉक्स नहीं हैं और वहां पर साईस क्लासिज नहीं चल रही हैं। आठवी पंचवर्षीय योजना में सभी 16 सरकारी कालेजों में साईस आरम्भ कर दी जाएगी।

**चौधरी किशन सिंह सांगवान:** अध्यक्ष महोदय, जब श्री खुरशेद अहमद जी ने शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने में साईस

क्लासिज भुरू करने का आवासन दिया था। वहां पर बिल्डिंग तैयार हैं। लैबोरेटरी भी तैयार हैं और साईस ब्लॉक भी तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगी कि क्या इस ऐकेडैमिक सै।न से वहां पर साईस क्लासिज भुरू जाएंगी?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं मोहना में 6 कमरे मुकम्मल हैं। श्री खुरीद अहमद जी ने जो आवासन दिया था, हम उसको पूरा करेंगे। इस वर्ष के बजट में वहां साईस क्लासिज प्रारम्भ करने का प्रावधान नहीं है लेकिन अगामी सै।न में मोहाना में साईस क्लासिज प्रारम्भ कर दी जाएंगी।

**श्री उदय सिंह भान:** अध्यक्ष महोदय, होडल कालेज के लिए जमीन ऐक्वायर करने की कार्यवाही काफी सालों से चल रही है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगी कि जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, एक बार यह जमीन अधिग्रहण करने के लिए दफा 6 की नोटिफिके।न भी हो गई थी लेकिन उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने इसमें कोई टैक्नीकल कमी निकाल दी। दोबारा फिर सै।न 4 की नोटिफिके।न दिनांक 3-1-1989 को ई।नू की गई है। दफा 6 को नोटिस अभी होना बाकी है।

Illegal possession of the land of Municipal Committee, Shahabad

\*981. Shri Harnam Singh: will the Deputy Chief Minister (II) be pleased to state-

(a) whether any land of Municipal Committee Shahabad was given on lease during the period from 1-9-1968 to 31<sup>st</sup> December, 1970 if so, the details of the land, the name of lessee (s) and the period for which it was given on lease;

(b) whether sanction of the competent authority was taken before the said land was given on lease; if not, the reasons therefor; and

(c) in case the said land is still under illegal possession of the lessee, the steps, if any, taken or proposed to be taken to get illegal possession vacated?

उप मुख्य मंत्री (डा मंगल सैन):

(क) हां इसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	पट्टेदार का नाम	भूमि का विवरण	पट्टे की अवधि
1	श्री खरैती लाल मलिक	सिविल हस्पताल, भाहाबद के समीप 4330	99 वर्ष



		वर्ग गज	
2	प्रधान मारकण्डा नै नल कॉलेज, भाहबाद	जी0 टी0 रोड़ 16000 वर्ग गज	9 वर्ष (अब यह प्लाट पट्टा पर नहीं हैं)
3	सनातन धर्म महावीर दल	जोहड़ सब्जी मंडी 28316 वर्ग गज	9वर्ष

(ख) क्रम संख्या क (1) पर वर्णित भूमि श्री खरैती लाल मलिक को पट्टे पर दी गई, जोकि इस उसमय नगरपालिका का प्रधान था, सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त नहीं की गई। क्रम संख्या क (2) तथा क (3) पर दी गई भूमि को स्वीकृत, सक्षम प्राधिकारी अर्थात नगरपालिका से प्राप्त की गई।

(ग) क्रम संख्या क (1) के मामले में पट्टा रद्द किया जा चुका है, और श्री खरैती लाल मलिक को दिनांक 13-2-89 को, भूमि खाली करने हेतु 5 वर्ष का नोटिस दिया गया है।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, लीज कैंसिल हुई और लीज कैंसिल होने के बादन इतने लम्बे तक पड़ी रही और अगली कार्यवाही के लिए नोटिस दिनांक 13-2-1989 को दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस डिले के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में यह बात तब आई, जब इनका सवाल मिला। मैं इस सवाल के लिए इनका धन्यवाद करता हूँ और इसका जवाब यह है कि जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अब य कार्यवाही करेंगे।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस अवैध लीज की जिस सैक्रेटरी ने रजिस्ट्रेशन करवायी थी, उसको ही यहां बदल कर लगा दिया गया, यह क्यों लगाया गया और किस नीति का नतीजा है?

डा० मंगल सैन: डाक्टर हरनाम सिंह जी, इसमें कोई नीति नहीं है। अगर वह वापिस आ गया है तो फिर बाहर भेज दिया जायेगा। उसे मिवचीव करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर सर, मैं आपको माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या नगरपालिकाओं की भूमि के अवैध कब्जे के मामले उनके ध्यान में

आये है और अगर आये हैं तो क्या ऐसी जमीनों को खाली करवाने के बारे में ड्राईव चलायी जायेगी?

**डा० मंगल सैन:** स्पीकर साहब यह भाहबाद म्यूनिसिपल कमेटी का सवाल है सभी म्यूनिसिपल कमेटीज के बारे में सवाल नहीं है। इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि यह सप्लीमेंटरी इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह अर्ज की थी यह लीज कब कैंसिल हुई और कैंसिल होने के बाद जमीन खाली करवाने का काम जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है और यह लीज कब कैंसिल हुई है?

**डा० मंगल सैन:** स्पीकर साहब, वैसे तो डाक्टर हरनाम सिंह जी को हर बात का अच्छी तरह से पता है लेकिन चूकिं सदन में पूछ रहे हैं इसलिए उन्हें जवाब दे देता हूँ। हमारे ध्यान में जब यह बात आयी तो सरकार द्वारा पट्टादारी रद्द करने की दी गई हिदायतों के पत्र क्रमांक 5553 दिनांक 29-9-75 के अनुसार दिनांक 13-3-1989 को जमीन खाली करने का पांच वर्ष का नोटिस दिया गया।

**श्री हरनाम सिंह:** इसमें समय का पता लगना चाहिए। इसकी कैंसिल की तारीख और बीच के समय पता लगना चाहिए। यह नोटिस तो 13-2-89 का है।

**डा० मंगल सैन:** डाक्टर साहब मैंने यह बात स्पष्ट की है और आपको अच्छी तरह से मालूम भी है। तभी तो आप सैक्रेटरी को कह रहे हैं कि वह करप्ट है। यह बात सही है कि कांग्रेस रिजीम में उन लोगों से मिल कर घपला किया गया है जिस समय नोटिस दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया। मैं कनफैस करता हूँ कि उस समय के लोगों से मिल कर यह सब कुछ किया है। मैं इनके खिलाफ अब य कार्यवाही करूंगा।

### **33 KV Sub-Station**

**\*962. Shri Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to setup 33 KV Power Station at Village Berthali, Jathlana, Mehra and Gajlana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Power Station at villages as referred to in part(a) above is likely to be setup?

**Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):**

(a) No.

(b) Question does not arise.

**श्री रतन लाल कटारिया:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन में बताना चाहता हूँ कि पिछले मार्च से मैंने मंत्री जी ने कहा था कि जठलाना में 33 केवी का पावर स्टेशन मंजूर हो गया है और उस पर काम शुरू होने वाला है लेकिन आज मंत्री जी जवाब में नो कह रहे हैं इसका क्या कारण है?

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, मेरे लायक साथी ने सवाल पूछा है कि क्या बरथली और जठलाना आदि गांवों में 33 केवी का पावर हाउस बनाने की योजना है या नहीं मैंने उसका उत्तर नो में दिया है। जठलाना में 66 केवी का पावर हाउस छठी प्लान में बनाने की योजना थी लेकिन हर तरह से कोशिश करने के पश्चात भी कोई जमीन अवेलेबल नहीं हुई। इस समय सारे इलाके की सिचुएशन को देखते हुए और इस दौरान जो बड़े सब्सिडी स्टेशन बन गये हैं। उनके मददेनजर फिलहाल हमने 66 केवी की स्कीम को ड्रॉप कर दिया है। जब वहां पर लोड इतना डिवैल्प हो जायेगा और आवकता महसूस करेंगे तब वहां यह बनाया जायेगा।

**श्री रतन लाल कटारिया:** स्पीकर साहब, रादौर का इलाका चालीस साल से उपेक्षित है। इसलिए मैंने जिन गांवों के नाम दिये हैं क्या इसमें 66 केवी के पावर हाउस बनाने पर विचार करेंगे क्योंकि वहां के किसानों को राहत देना जरूरी है।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, इस समय जो मेहरा गांव है वह रादौर स्टे इन से फीड हो रहा है। इनका जो चौथा गांव गजलाना है वह लाडवा स्टे इन से फीड होता है। इस समय तो इस इलाके से इन गांवों की कोई रिक्वायत बोर्ड के पास नहीं है। ज्यों ही लोड ज्यादा डिवाल्प हो जायेगा, चाहे वह रादौर हल्का हो या हरियाणा प्रान्त का कोई दूसरा हल्का हो, बिजली बोर्ड उसकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिये हर जगह प्रयास करेगा।

**चौधरी राम किान सिंह सांगवान:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता कि करीब एक साल पहले वे गुरुकुल खानपुर में गये थे। वहां पर खानपुर कलां गांव के लिये उन्होंने 33 केवी स्टे इन का एलान किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही हुई है और अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है?

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, मैंने एलान नहीं किया था लोगों की डिमांड आयी थी। मैंने यह कहा था कि इसको ऐगजामिन करवायेंगे और अगर जस्टीफाईड डिमांड हुई तो यहां पर सब स्टे इन जरूर बना दिया जायेगा। उसकी रिपोर्ट अभी तक मेरे पास पुट-अप नहीं की गयी है।

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक तो 33 केवी और 66 केवी स्टे इन बनाने का काइटेरिया जानना चाहता हूं और दूसरे काइटेरिया को देखते हुए

क्या पलवल और होडल के बीच में कहीं पर यह स्टे इन बनाने का विचार है?

**श्री अध्यक्ष:** रावत साहब, कहां कुरुक्षेत्र और कहां होडल और पलवल? आप कहां से कहां चले गये।

**श्री रतन लाल कटारिया:** मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या गांव बेरथला में 66 केवी स्टे इन बनाने का कोई सर्वे पिछले दिनों हुआ है?

**श्री अध्यक्ष:** क्या यह जो चार गांवों के बारे में आपने पूछा है उसमें भामिल नहीं है?

**श्री रतन लाल कटारिया:** जी नहीं।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** मेरे पास तो बेरथली है।

**श्री रतन लाल कटारिया:** सर, यह बेरथला गांव बेरथली गांव के बिल्कुल पास ही पडता है।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** बेरथली गांव के बारे में पोजी इन यह है कि वहां पर 6 केवी का ट्रांसफार्मर था, पहले हमने उसको बढाकर 8 केवी का किया है और अब 8 से 10 केवी का करने जा रहे हैं। हम लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेसिटी बढाते जा रहे हैं। जब भी कोई आवकता महसूस करेगा, बोर्ड सबस्टे इन्ज का जरूर आगमेंट करेगा। ऐसी हमारे बोर्ड की पालिसी है।

## **Government College at Israna**

**\*937. Chaudhri Satbir Singh Kadian:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Israna in Tehsil Panipat of District Karnal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize?

**शिक्षा मंत्री (श्रीमति सुशमा स्वराज):**

(क) नहीं जी, परन्तु इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना अवश्य प्राप्त हुई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) इस हेतु कोई समय निर्धारण सम्भव नहीं है।

**चौधरी सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि अगर हम 20 एकड़ जमीन कालेज खोलने के लिये मुफ्त दे दें, तो क्या वहाँ पर अप्रैल 1990 से कालेज खोलने का कष्ट करेंगी?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष जी, कालेज अकेले 20 एकड़ जमीन देने से नहीं खोला जा सकता। कालेज खोलने के लिये 15 एकड़ जमीन के साथ ही डेढ़ करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हमें यह भी देखना पड़ता है कि बराबर में कालेज कितनी दूरी पर है और फीडिंग इंस्टीच्यूशन



कितने हैं। इसलिये केवल जमीन देने से अप्रैल 1990 में कालेज खोलने का आवासन हम नहीं दे सकते।

**चौधरी सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह बताना चाहता हूँ कि हम जमीन के साथ साथ 5 लाख रूपया भी दे देंगे। वहाँ पर काफी दूर तक कोई कालेज नहीं है। क्या मंत्री महोदया वहाँ पर कालेज खोलने के बारे में कश्ट करेंगी?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष जी, डेढ करोड की तुलना में 5 लाख रूपया तो आटे में नमक के बराबर है।

**तारांकित प्र न नं0 983**

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री मनी राम इस सदन में उपस्थित नहीं थे।

**Allotment of Land by HUDA to Coop. Group Housing Societies**

**\*964. Shri Kanti Parkash Bhalla:** Will the Deputy Chief Minister (I) be pleased to state-

(a) whether any decision was taken in the meeting held between the Chief Administrator HUDA Registrar Cooperative Societies, Haryana and the representatives of the Coop. Group Housing Societies, Panchkula on the 20<sup>th</sup> October, 1987; if so, the details thereof;

(b) the action taken or proposed to be taken on the application received from the Cooperative Group Housing Societies, Panchkula for the allotment of land by HUDA under the Cooperative Group Housing Scheme during the year 1988;

(c) the number of Cooperative Group Housing Societies, out of those referred to in part(b) above, which have been allotted land so far; and

(d) the time by which the remaining societies as referred to in part(b) above are likely to be allotted land togetherwith the rate (Per Sq. Mtr.) of the allotment of land thereof?

**उप मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):**

(क) 20 अक्टूबर 1987 को कोआप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज एसोसिये इन के प्रतिनिधियों एवं मुख्य प्र शासक हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण के मध्य बातचीत हुई जिसमें कोई भी औपचारिक निर्णय नहीं लिये गये।

(ख) कोआप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज एसोसिए इन पंचकूला से कोई भी सप्रमाण प्रार्थना पत्र जो कि निर्धारित फार्म पर हो एवं जिसके साथ मुख्य प्र शासक हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण को धरोहर राशि बन्धक (प्लैज) की गई हो, प्राप्त नहीं हुआ था। जो आवेदन पत्र 1985 में इस योजना की समाप्ति के पचात वर्ष 1988 में प्राप्त हुए उनकी इस योजना के अन्तर्गत कोई मान्यता नहीं है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) चूंकि कोई भी प्रमाणित आवेदन पत्र इस स्कीम के लिए निर्धारित तिथि या बढ़ाई गई तिथि तथा इस योजना की समाप्ति तिथि 31 दिसम्बर 1985 तक प्राप्त नहीं हुआ अतः पहली नीति के अन्तर्गत भूमि नियतन का प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐप्लीके ांज लेने की अवधि बढ़ाने के बारे में क्या सरकार सोच रही है और क्या जो ग्रुप हाउसिंग की स्कीम है उसको सरकार ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है या अभी चालू है?

**श्री बनारसी दास गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम की नई नीति निर्धारित की है। वह नई नीति इस प्रकार से है—

कोआप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को अपनी जमीन पर कोई कालोनी डिवैल्प करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई कोआप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी है और हमारी नई नीति के नीचे मकान बनाना चाहती है तो उसको डिवैल्प की हुई जमीन हुडडा की तरफ से देंगे। ग्रुप हाउसिंग की स्कीम मल्टी स्टोरी बिल्डिंगज यानि फ्लैटस बनाने की है एक मंजिल या दो मकान बनाने की नहीं बल्कि बहु मन्जिल बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी जाएगी। हमारी नई नीति क्या है वह मैं विस्तार से बता देता हूं—

1. सहकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों बोर्डों, निगमों, सेना सेवायें, आरमी वैल्फेयर ओर्गेनाइजे ान इत्यादि को सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए बढावा दिया जाये ।

2. सार्वजनिक क्षेत्र ओर्गेनाइजे ांज तथा कम्पनियों को अपने कर्मचारियों को किराये पर मकान देने के लिए ग्रुप हाउसिंग प्रोजैक्ट का निर्माण करने की स्वीकृति दी जाये ।

3. उपर लिखित सहकारी वर्ग / सार्वजनिक क्षेत्र ओर्गेनाइजे ान / कम्पनियों को उसी भूमि पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजैक्ट बनाने की स्वीकृति दी जाये जो कि इस उददे य के लिये हुडडा द्वारा उनको नियतन की गई है ।

4. सहकारी समितियों को अकेले अकेले प्लाट का विकास करने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

5. केवल हुडडा द्वारा नियतन की गई भूमि पर ही ग्रुप हाउसिंग की स्वीकृति दी जाएगी ।

6. किसी भी सहकारी समिति को स्वयं भूमि लेकर, जोकि हुडडा द्वारा नियतन न की गई हो, उस पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजैक्टस या अकेले अकेले प्लाट का निर्माण करने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

7. सहकारी समितियों के जो प्रार्थना पत्र हुडडा के पास भूमि नियतन के लिये पडे हैं उन पर विचार किया जाएगा यदि वह उपरोक्त प्रद र्क नीतियों के अनुसार है।

8. हुडडा द्वारा सहकारी समितियों के लिये भूमि केवल उपरोक्त वर्गों को नियतन करने तक ही सीमित रहेगी।

**श्री मुनी लाल:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि हाउसिंग बोर्ड भूमि नियतन नहीं करेगा बल्कि हुडडा द्वारा भूमि दी जाएगी। आज हालत यह है कि कई कई साल तक कालोनी हाउसिंग बोर्ड द्वारा नहीं बनाई जा रही है। रिवाडी में दस साल हो गए हैं लेकिन वहां पर अभी कुछ भी नहीं बना है। न वहां पर सडक है और न ही वहां सिवरेज है। लोग पूछते हैं कि कब तक वहां पर कालोनी बनेगी क्योंकि लोगों ने पैसा जमा कराया हुआ है। क्या उपमुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की कालोनीज कब तक बनाई जाएगी?

**श्री बनारसी दास गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि कई जगह पर हुडडा ने भूमि ऐक्वायर की हुई थी लेकिन वहां पर विकास कार्य नहीं हो सका। अभी पिछले हफते तीन चार जगह पर मीटिंग बुलाई थी और सारे आफिसर्ज / अधिकारियों को हिदायत दी गई कि ऐसी कालोनीज को जितना जल्दी से जल्दी सम्भव हो सके डिवैल्प किया जाए।

श्री कान्ति प्रकाश भल्ला: क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोआप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज से ऐप्लीकेशन आज लेने के बारे में कोई डेट फिक्स की है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जो नई नीति निर्धारित की गई है उसके अन्तर्गत कोई तिथि फिक्स नहीं है। जब भी चाहे सोसायटी ऐप्लीकेशन दे सकती है।

श्री कैलाश चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, नारनौल एक जिला हैड क्वार्टर है और वहां पर हुडडा की कोई कालोनी नहीं है। उपमुख्यमंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार हुडडा की तरफ से वहां पर कोई कालोनी बनाने पर विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, अगर जरूरत होगी तो जरूर बनायी जाएगी।

### **Provision of Play-Ground in Govt. College, Tohana**

**\*975. Comrade Harpal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide a play ground in Govt. Indira Gandhi College, Tohana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize?

**शिक्षा मंत्री (श्रीमति सुशमा स्वराज):**

(क) जी हां।

(ख) इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय टोहाना के साथ लगती 56 कनाल 2 मरले भूमि जो कि पंजाब वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है को लीज पर प्राप्त करने के लिये पंजाब वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है जब यह भूमि पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा कालेज के नाम अलौट पर दी जायेगी, तब कालेज को खेल के मैदान उपलब्ध करवाये जा सकेंगे। इसलिये समय अवधि निश्चित करना संभव नहीं है।

**कामरेड हरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड की जमीन पर चर्चा करते हुए पिछली बार इस हाउस के अन्दर काफी रौला हुआ था। क्या मंत्री महोदया के नोटिस में यह बात है कि यह जो ऐग्रीकल्चर लैण्ड है जिसको ये लीज पर लेने के लिये कह रहे हैं वहां पर लगातार प्लॉट्स काटे जा रहे हैं? क्या वक्फ बोर्ड और शिक्षा विभाग की नालेज में भी यह बात है?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आदरणीय सदस्य दे रहे हैं वह आधी अधूरी है। यह जो जमीन है उसके लिये पंजाब वक्फ बोर्ड से हमने बातचीत की थी लेकिन वे हमसे कुछ पैसा पुरानी लीज मनी का चाहते थे क्योंकि कालेज जिस भूमि पर बना हुआ है वह जमीन पंजाब वक्फ बोर्ड की ही है। इसकी कुछ लीज मनी ऐजूके गन डिपार्टमेंट ने देनी है। वह पैसा

अब हमने उनके पास जमा करवा दिया है। लेकिन इस बीच में जब तक हमने पैसा जमा करवाया, उन्होंने यह जमीन जो हम मांग रहे हैं वह किसी जमींदार को का त करने के लिये दे दी। वे प्लॉट नहीं काट रहे लेकिन हमारी यह जानकारी है कि उन्होंने दो सालों के लिये यह जमीन का त पर दे दी है। इसलिये 90 से पहले वे उन्हें खाली नहीं करवा पाएंगे। मैं यह कह सकती हूँ कि कोई कालोनी वहां नहीं बन रही लेकिन यह तथ्य है कि वहां पर खेती हो रही है और बलवन्त सिंह नाम के किसी जमींदार को पंजाब वक्फ बोर्ड ने यह जमीन लीज पर दी गई है।

**कामरेड हरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, बहन जी अगर इस बात की इंकवायरी करवाएंगे तो उनको सारी स्थिति का पता लग जाएगा कि जमीन लीज से पहले ही सरदार बलवन्त सिंह के पास थी और वहां पर प्लॉट कट रहे हैं। नि गानदेही हो रही है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार एक टीम बनाकर इस सारी बात की जांच करवाने के लिए तैयार है?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, इंकवायरी करवाना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है क्योंकि वह जमीन पंजाब वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है। हम तो केवल उनसे खतोखिलावत रके अनुरोध करके ही वह जमीन लीज पर ले सकते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है कि वह जमीन पहले भी इस जमींदार को दी हुई थी लेकिन वह भी केवल का त करने के लिये दी हुई थी। अब भी का त के लिये दी हुई है। 19 अप्रैल को हमारे डीएचईओ ने



पत्र लिखकर जब उनसे अनुरोध किया कि वे यह जमीन दे दें तो उन्होंने यह भर्त लगा दी कि हम उस जमीन पर पैसा जमा करवा दें। 1 लाख 83 हजार 5 रुपये हमने जमा करवा दिये हैं। अब हमारी उन से लैटर के द्वारा नहीं लेकिन ओरली बात हुई है कि 1990 में जब उस जमीन की लीज खत्म हो जाएगी तब उसके बाद जमीन हमको दे सकेंगे। किसी कालोनी वगैरह के लिये कोई प्लॉट वगैरह वहां नहीं काटे जा रहे हैं।

**डा० बृज मोहन:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया ये यह जानना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा में किसी कालेज में किसी भी खेल की ओलम्पिक के स्टैंडर्ड का बनाने का सरकार का विचार है?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, बेहतर होता यदि मैम्बर साहेबान यह सवाल शिक्षा मंत्री को करने की बजाये खेल मंत्री से करते।

**कामरेड हरपाल सिंह:** स्पीकर साहब, बहन जी, यहां हाउस में स्टेटमेंट देकर वक्फ बोर्ड को डिफैन्ड कर रही हैं और कह रहीं हैं कि उस जमीन पर कोई कालोनी नहीं बन रही है और न ही कोई प्लॉट काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर यह भी कह रही है कि वह जमीन पंजाब वक्फ बोर्ड के अन्डर है उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के अन्डर यह कलेम करता हूँ कि वहां पर निर्माण न देही हो रही है प्लॉटस काटे जा रहे

हैं। क्या बहन जी इस बात की इंकवायरी के लिये तैयार है जिससे कि उन्हें सही पोजीशन का पता लग सके?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस लैन्ड की जांच करवा ही नहीं सकती क्योंकि वह हमारे विभाग की जमीन नहीं है। मैं तो सिर्फ खतोखिताब करके उस जमीन को लीज पर हासिल करवा सकती हूँ और इसके लिए शिक्षा विभाग पुरजोर कोशिश कर रहा है।

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि किसी भी सरकारी इंस्टीच्यूशन के साथ किसी पोलिटिकल आदमी या किसी महान हस्ती का नाम जोड़ना किस नियम के तहत आता है? साथ में यह भी बताएं कि हरियाणा सरकार की इस बारे में क्या नीति है क्योंकि हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साथ जब हमारी सरकार ने चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ना चाहा था तो उस केंद्र सरकार ने इस काम में रूकावट डाली थी? क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि अब इसकी लेटैस्ट पोजीशन क्या है?

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल गैर संबंधित सवाल पूछ रहे हैं लेकिन कल आपने मुझे जवाब देने की बलेंकट अनुमति दे दी थी। अगर वह अनुमति आपकी स्टैंड करती है तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** दे दीजिए।

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने कहा कि नाम जोड़ने की शिक्षा विभाग की क्या नीति है हमारे यहां केवल नाम उसका जोड़ दिया जाता है जो व्यक्ति कालेज बना कर या कालेज की बिल्डिंग हमको देता है। जब इस तरह का कोई कालेज हम टेक ओवर करते हैं तो उस दानी व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर वह जमीन होती है हम उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे अभी तावडू में हम लोगों ने कालेज खोला है। वहां श्री हरदवारी लाल गोयल है। उन्होंने हमें जमीन भी दी और साढ़े 12 लाख रूपए भी उसके लिए दिए। तो वहां हमने उनका नाम साथ में जोड़ा। जहां तक एचएयू का नाम परिवर्तन करने का सवाल है माननीय सदस्य विधान सभा के बहुत जागरूक सदस्यों में से है। मुझे मालूम है कि जब यूनिवर्सिटी के साथ किसी व्यक्ति का या महापुरुष का नाम जोड़ना होता है तो केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति चाहिए। जब हमने यह नाम लिखने के लिए प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा कि हम कृषि वि विद्यालय के नाम के साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ना चाहते हैं तो एक इतना बेतुका तर्क देकर उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया कि यह कृषि वि विद्यालय हरियाणा कृषि वि विद्यालय के नाम से बहुत प्रचलित है बहुत विख्यात है इसलिए इसके साथ नाम जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है। मैं समझती हूँ भायद इससे बड़ा बेहुदा तर्क नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस सरकारों ने वि विद्यालय के साथ नाम जोड़ा है। पंत साहब के नाम से वि विद्यालय है और कई

लोगों के नाम से वि विविद्यालय है। जहां तक विख्याति का सवाल है यह तर्क बहुत बेमायनी है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पालम एयर पोर्ट का नाम पालम के नाम से बहुत विख्यात है। आज भी हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने हवाई अड्डे पर जा रहा हूँ लेकिन जब उसका नाम बदलने का सवाल आया तो यह विख्यात वाला तर्क नहीं आया। राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री ने एक कलम की नौक से उसका नाम बदल कर इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया। लेकिन जब एचएयू के साथ चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ने की बात आई तो यह तर्क देकर कि यह हरियाणा कृषि वि विविद्यालय के नाम से विख्यात है हमें इंकार कर दिया गया। इससे बड़ा राजनीतिकरण और नहीं हो सकता था। यही एक कारण है जिसके कारण एचएयू के साथ उनका नाम नहीं जोड़ा गया।

**चौधरी सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या गवर्नमेंट कालेज टोहाना इन्दिरा गांधी जी ने भारू करवाया था? (हंसी)

**श्रीमति सुशमा स्वराज:** अध्यक्ष जी, यह टेकन ओवर कालेज है जब किसी कालेज को हम टेक ओवर करते हैं तो जो नाम उसका होता है उसी के साथ हमको राजकीय लगाना होता है। जैसे हमने द्रोणाचार्य महाविद्यालय गुडगांव लिया तो उसके साथ राजकीय द्रोणाचार्य कालेज लगा कर लिया। जो होडल का इनका कालेज है। वह बृज मंडल कालेज है। उसको इसी तरह

राजकीय भाब्द साथ लगा कर लिया। यह पहले से टेकन ओवर कालेज चल रहा था इसलिए हमने केवल इसके साथ भाब्द राजकीय लगाया है।

**श्री बलबीर सिंह चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या वे कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूलों से रिक्त पद पड़े हैं। उनको जल्दी भरने की कोशिश की जाए?

**श्रीमति सुशामा स्वराज:** अध्यक्ष महोदय, यह कालेजों से संबंधित सवाल था इन्होंने स्कूलों में रिक्त पदों की बात पूछ ली। मैंने कल सदन में बताया था कि हमारे यहां एसएसएस बोर्ड से सिलैक्टिड लिस्ट आ गई है। मैथ्स, एसएस और साईंस टीचर्स के रिक्त पदों को हम बहुत जल्द भर देंगे।

**कामरेड हरपाल सिंह:** स्पीकर साहब, इन्होंने जवाब देते हुए चूंकि मेन बात को साइड ट्रैक कर दिया इसलिए मैं एक और बात इनसे जानना चाहता हूँ। यह इन्दिरा गांधी कालेज पहले एक प्राइवेट इंस्टीच्यूशन से भुर्रु हुआ उसके बाद इसका नाम नेशनल कालेज बदल दिया गया था। नेशनल कालेज के बाद यह टेक ओवर होकर गवर्नमेंट बन गया। गवर्नमेंट कालेज बनने के बाद कांग्रेस की हकूमत आई और उन्होंने इसके साथ इन्दिरा गांधी का नाम जोड़ दिया था। क्या बहिन जी, कोशिश करके दोबारा इन्दिरा जी का नाम हटा सकती हैं?

श्रीमति सुशमा स्वराज: को ि ि करके हम इसका नाम बदल देंगे ।

**Domestic Water Connections for Colonies of Faridabad**

**\*993. Shri Kundan Lal Bhatia:** Will the Deputy Chief Minister (II) be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to give water connections to the houses in the Jawahar, Dabua and Gandhi colonies of Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid water connections are likely to be given to the houses as referred to in part(a) above?

**उप मुख्य मंत्री (डा० मंगल सैन):**

(क) हां ।

(ख) समय निर्धारित करना संभव नहीं है । यह धनरा ि के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

**श्री कुन्दन लाल भाटिया:** स्पीकर साहब, डा० साहब ने यह कहा कि पैसा आने के बाद पानी का प्रबन्ध किया जाएगा । अगर उसके लिए 30 लाख रूपया दे दिया जाए तो उससे दो करोड रूपए की आमदनी हो सकती है । डबुआ कालोनी जवाहर कालोनी और पंजाबी कालोनी के अन्दर हाउस टैक्स और डिवैल्पमेंट चार्जिज वसूल करने से यह आमदनी हो सकती है ।

**डा0 मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने ठीक सुझाव दिया है मैं इस पर विचार करूंगा और पैसा आने के बाद तुरन्त कार्यवाही भुरू कर देंगे ।

**श्री कुन्दन लाल भाटिया:** स्पीकर साहब, अगर पैसा आने तक इंतजार करनी है तो मैं यह कहूंगा कि डबुआ कालोनी और जवाहर कालोनी में पांच सौ कनैव इन दिए गए है । अगर साथ साथ यह आदे । दे दे कि जो आदमी डिवैल्पमेंट चार्जिज और हाउस टैक्स दे देगा उसको घर में कनैव इन मिल जाएगा । ऐसा करने से पैसे की समस्या औटोमैटिकली हल हो जाएगी ।

**डा0 मंगल सैन:** स्पीकर साहब, इनका सुझाव बहुत अच्छा है हम ऐसा ही करेंगे ।

**Mr. Speaker:** Questions list is over.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

### **Construction of Bridges on Drains**

**161. Shri Harnam Singh:** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bridges on the drains falling in between the roads from Shahabad to Chhapri, Ismailabad to Thaska Meeranji and Redaur to Chhahri; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridges are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क) 1. भाहबाद से छापरी – जी, हां

2. इस्माईलाबाद से ठसका मीरांजी – जी, नहीं

3. रादौर से छहरी – जी हां

(ख) 1. भाहबाद से छापरी – दिसम्बर 1990 तक

2. इस्माईलाबाद से ठसका मीरांजी – प्र न उत्पन्न नहीं होता

3. रादौर से छहरी – मार्च 1991 तक

### **Small, Medium and Large Scale Industries in the State**

**162. Shri Harnam Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the total number of Small, Medium, and Large Scale Industries in the State as on 31.3.1989 togetherwith the number of employees working therein; and

(b) whether any of the Industries as referred to in part(a) above, have been closed; if so, the number thereof?

उद्योग मंत्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क) 31-3-89 तक काम कर रहे लघु स्तर उद्योगों की संख्या 86100 थी जिनमें 517000 व्यक्ति काम कर रहे थे जबकि



बड़े एवं माध्यम उद्योगों की संख्या 312 थी जिनमें 125000 व्यक्ति कार्यरत थे।

(ख) उक्त 312 बड़े तथा माध्यम उद्योगों में से 31-3-89 के पचास कोई भी उद्योग बन्द नहीं हुआ है। 31-3-89 के बाद लघु स्तर की बन्द इकाईयों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

### **Transport Nagar at Karnal**

**156. Seth Lachhman Dass Bajaj:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Transport Nagar at Karnal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize?

### **Interim reply**

DO No. MT-89/12

DHARAMBIR

Minister of State for

Transport, Haryana

Chandigarh

Dated 12-9-1989

**Subject: Reply of unstarred Assembly question No. 156**

Dear Shri Chatha,

To reply to the unstarred Assembly question No. 156 could not be prepared as some information was to be obtained from field officers/HUDA. Moreover, this question does not relate to the Transport Department. Hence, the question may be transferred to the Town & Country Planning/HUDA and if the reply is to be given by the Transport Deptt. then at least 15 days extension may be given.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(DHARAMBIR)

Sh. H.S. Chatha

Speaker Haryana

Vidhan Sabha.

अध्यक्ष द्वारा औब्जर्वे न-

सर्वश्री राजेन्द्र चौधरी और सीता राम जिन्दल के विरुद्ध  
वि शेषाधिकार मामले पर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे संबंधी

**Mr. Speaker:** Hon. Members now I have to make an observation.

Hon'ble Members, the other day, Shri Hira Nand Arya, MLA made a point that the Punjab and Haryan High Court in granting stay of proceedings in the writ petition filed by S/Shri Rajinder Chaudhry and Sita Ram Jindal of M/s Jindal Aluminium Limited Bhiwani in regard to the Privilege issue pending consideration by the Privileges Committee had committed a breach of privilege. I promised to make the observation today. I hereby observe:-

“The Courts of law in India have recognised that a House of Parliament or a State Legislative is the sole authority to judge as to whether or not there has been a breach of privilege in a particular case. It has been held that the power of the House to commit for contempt is identical with that of the House of Commons and that a Court of law would be incompetent to scrutinize the exercise of that power. Article 212 of the Constitution of India forbids the jurisdiction of Courts in the working of legislative.

As regards exclusive control of either House over its internal proceedings, Article 105(2) and 194 specifically bar the jurisdiction of the courts of law in respect of anything said or any vote given by a member in Parliament or any Committee thereof.

In 1964, however, there arose a case giving rise to important and complicated questions of law regarding the powers and jurisdiction of the High Court and its judges in relation to the State Legislative and its officers and regarding the powers, privileges and immunities of the State Legislature and its members in relation to the High Court and its judges in the discharge of their duties. The questions of law involved

were of such public importance and constitutional significance that the President considered it expedient to refer the matter to the Supreme Court was discussed by the Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies in India held at Bombay in January 1965. Thereafter, the matter has been discussed in the subsequent Conferences of Presiding Officers from time to time and only and only recently at Guwahati in January, 1989 wherein the Chairman of the Conference, the Speaker, Lok Sabha summing up the consensus of the Conference observed;

“The same is the case here. We are supreme. It is to our own conscience that we are answerable now. You are the supreme unquestionable authority on this subject. Our authority cannot be questioned, as far as this is concerned. We must be satisfied and we must make out selves satisfied.”

Subsequently, the matter pending before the High Court has been withdrawn but what concerns this body is whether judiciary in such a manner can encroach upon constitutional and sovereign power of Legislature. Such an interference is not only illegal and unconstitutional but it does amount to breach of privilege of this August Body but at the same time it must be remembered that the harmony among the three organs of Government is essential and imperative for the smooth functioning of the State administration nad to strengthen the State craft. Otherwise a situation may take such a turn that it may threaten the existence of rule of law or it may result in complete lack of faith in the organ which commits such an error. As the matter has been withdrawn from the High Court and to maintain harmonious and cordial

relations between the two wings, I close the matter with the earnest hope that the Courts in future will refrain from usurping the domain of Legislatures.

**Deputy Chief Minister (Shri Mangal Sein):** This is a histrociall ruling, Sir.

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आपने जो रूलिंग दी है उस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा। ( गोर)

**Revenue Minister (Shri Suraj Bhan):** Sir, your ruling cannot be questions.

**Shri Hira Nang Arya:** Sir, I am not questioning your ruling. I want to make a submission.

**Mr. Speaker:** Please do not touch this matter now.

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के खिलाफ बहुत गम्भीर भ्रष्टाचार के ओराप लगाए हैं इसलिये उनके खिलाफ कोई एक् ान लिया जाना चाहिए।

**Mr. Speaker:** I have already said that this matter is now closed. Let us proceed to the other item.

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, आप उनके खिलाफ कोई एक् ान तो लें।

**Mr. Speaker:** This is not the point. आपने जो प्वायंट उठाया था I have taken that into consideration and have given my verdict. Now that chapter is closed.

### विभिन्न विशयों का उठाया जाना

**श्री रघु यादव:** अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री व गृह मंत्री महोदय ने आरोप लगाया है कि इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने दिल्ली के एक होटल में सौदेबाजी की है। (विधन) इस संबंध में मैंने रूल 84 के तहत एक नोटिस दिया हुआ है उसका क्या हुआ?

**Mr. Speaker:** That is under consideration.

**श्री रघु यादव:** अध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबरें छपी हैं कि हरियाणा के एक व्यक्ति का हरियाणा पुलिस के अफसरों ने नई दिल्ली के पांच सितारा होटल से अपहरण कर लिया है। इस संबंध में मैंने रूल 73 के तहत मोशन दिया है उसका क्या हुआ?

**Mr. Speaker:** I have not received that.

**Shri Raghu Yadav:** I have given it, Sir.

**Mr. Speaker:** That might be in the office.

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):** आप उपर्युक्त व्यक्ति का नाम बता दें। हम पता करा लेते हैं।

श्री रघु यादव: नाम का तो सभी को पता है। कहो तो पूरी कहानी ही बता दूँ।

श्री अध्यक्ष: कहानी बताने की जरूरत नहीं है। आप कृपया बैठें। I will look into that.

श्री रघु यादव: स्पीकर साहब मैंने मुख्यमंत्री जी की हवाई यात्राओं के बारे में एक सवाल दिया था। उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला और न ही वह सवाल इन दिनों लगा।

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो अब मिल जायेगा।

श्री रघु यादव: कब मिल जायेगा?

**Mr. Speaker:** You will get it just now.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैंने यमुना नदी के कटाव के बारे में एक काल अटैं इन मो इन दिया हुआ है उसका क्या हुआ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, वह एडमिट हो चुकी है और आज ही लगी हुई है।

श्री कैला । चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैं इन मो इन धारूहेडा में जो हीरो हाण्डा फ़ैक्टरी लगी हुई है उसके संबंध में दी हुई है क्योंकि वहां पर करीब 6 महीने से हडताल चल रही है। मेरी उस मो इन का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: वह डिस अलाउ हो गई है।

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

यमुना नदी द्वारा हरियाणा की ओर बढ़ रहे भूमि कटाव संबंधी

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion no. 6 from Shri Rattan Lal Kataria, MLA regarding increasing of soil erosion towards Haryana by Yamuna river. I admit it. वह अपना मोान पढ दे। उसके बाद मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे दें।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी के साथ लगते क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हं। पूर्व वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी बाढ के दौरान भूमि कटाव काफी अधिक हुआ है और यह कटाव हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है जिसके फलस्वरूप गांव बागवाली लाल छप्पर, गुमथलाराव, सन्धौला, सन्धोली, जथलाना और उन्हेरी का अस्तित्व खतरे में पड गया है और इस दरिया में बाढ के आने से कृशकों की करोडो रूपये की फसल नशट हो जाती है। मैं माननीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार द्वारा इस बारे में उठाए जा रहे पगो के बारे में स्टेटमेंट दें।

वक्तव्य

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी



**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):** स्पीकर साहब, इनके इस मोशन का जवाब रैवेन्यू मिनिस्टर साहब देंगे।

**राजस्व मंत्री (श्री सुरजभान):** स्पीकर साहब, दरिया यमुना से हरियाणा क्षेत्र में अधिक बाढ़ आती है। ऐसी बाढ़ की रोकथाम के लिये एक अच्छा हल स्टोरेज डैम बनाया है। हरियाणा राज्य में ऐसी स्टोरेज बनाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है और कुछ स्टोरेज स्थान उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के उपरी भागों में उपलब्ध है लेकिन इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिये गांव बागवाल, लाल छप्पर, गुमथला राव, सन्धाला व उन्हेरी गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए हरियाणा के पास केवल एक ही उपाय था कि जल बहाव रोक बांध बनाए जाये जिसे हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 14वीं बैठक दिनांक 17-2-79 में आईटम नं० 3(25) द्वारा 54.07 लाख रुपये की कीमत से अनुमोदित किया। लेकिन यमुना समिति द्वारा उसे रद्द कर दिया गया तथा इसलिये यह निर्माण कार्य संभव नहीं हो सका। सरकार भूमि कटाव को रोकने की और इन गांवों में बहाव को कम करने की समस्या के प्रति जागरूक हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने 1988 में आई बाढ़ के अनुभव के पश्चात निम्नलिखित योजना अनुमोदित की थी—

1. गांव बागवाली को यमुना से बचाव प्रदान करना।

2. गांव जथलाना, खरेडा, लाल छप्पर को यमुना से बचाव प्रदान करना।

3. गांव गुमथला को यमुना से बचाव प्रदान करना।

4. गांव सन्धाली तथा संधाना को यमुना से बचाव प्रदान करना।

**विभिन्न गांवों के किए गए कार्यों की विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-**

### **1. गांव बागवाली**

2 छोटे क्षतिग्रस्त बान्धों की मुरम्मत की गई। इस मुरम्मत के फलस्वरूप सर्दियों की बाढ के दौरान काफी मिट्टी का जमाव सम्भव हुआ जिससे 30 से 40 एकड भूमि पुनः प्राप्त हुई।

### **2. गांव सन्धाली सन्धाला**

3 छोटे बान्ध मुरम्मत किए गए। हरियाणा राज्य बाढ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित/छोटे बान्धों में से 6 छोटे बान्ध प्राथमिकता के आधार पर बनाए गए। इन कार्यों के पूर्ण होने से दरिया का बहाव गांव सन्धाली से दूर चला गया और इसके दूसरी ओर लगभग 30 एकड भूमि पुनः प्राप्त हुई। गांव सन्धाला में कोई क्षति नहीं हुई।

### **3. गांव उन्हेरी**

इस गांव में कोई कटाव नहीं हुआ और यह गांव दरिया के किनारे से 1000 फुट दूर है। फिर भी किनारों से पानी बहकर आ जाता है और यमुना के इस पानी को गांव की आबादी में आने से रोकने के लिए पहले ही रिंग बान्ध का निर्माण किया जा चुका है।

#### **4. गांव लाल छप्पर तथा जथलाना**

गांव लाल छप्पर से गांव जथलाना की ओर यमुना नदी में लगभग 200 फुट भूमि का कटाव हुआ। भूमि का और कटाव रोकने के लिए इस वर्ष एक योजना बनाई जायेगी और उसको हरियाणा राज्य बाढ नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पचात कार्यान्वित किया जायेगा।

#### **5. गांव गुमथला**

वर्ष 1989 की बाढ के दौरान इस गांव में भूमि का केवल थोडा बहुत कटाव हुआ है। हरियाणा राज्य बाढ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य को बाढ के मौसम के बाद कार्यान्वित किया जायेगा।

चालू वर्ष की बाढ में केवल गांव लाल छप्पर जथलाना, में कुछ भूमि का कटाव हुआ है। केवल 20-25 एकड भूमि का कटाव हुआ है। इन गांवों के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि यमुना समिति के अनुमोदन के बगैर इन बान्धों को नहीं बनाया जा सकता इसलिए गांववासियों को कुछ खतरा बना रहेगा।

मैं इस अवसर पर इस महान सदन को वि वास दिलाना चाहूंगा कि कृशकों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने हर सम्भव प्रयत्न किया है और प्रयत्न किये जाते रहेंगे।

**श्री रतन लाल कटारिया:** अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी का कटाव हरियाणा प्रदेश की ओर बढ़ता जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बांध यमुना पर बनाए गए हैं उनके मुकाबले में हरियाणा में जो बांध बने हैं वे कमजोर हैं जिस कारण जब भी फ्लड आता है हमारे रिंग बांध बाढ़ में बह जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा प्रदेश में कटाव बढ़ने का कारण यही तो नहीं है?

**श्री सुरज भान:** अध्यक्ष महोदय, यह एक कारण है किन्तु हम इस बारे में यमुना की समिति अनुमति के बगैर कुछ नहीं कर सकते।

**श्री रतन लाल कटारिया:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि यह एक कारण है मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इस कारण भारतीय संविधान के आर्टिकल "Adjudication of Disputes relating to Inter-State Water or Valley" के तहत इस मामले को केंद्रीय सरकार के साथ टेक अप करेंगे?

श्री सुरज भानः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरे साथी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी मयस्सर कदम उठाएंगे।

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

भारी वर्षा के कारण अम्बाला तथा कुरुक्षेत्र जिलों के गांवों में हुए नुकसान संबंधी

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, I have received notices of Calling Attention Motion No.s 10 & 7 (bracketed with No. 10) from Sarvshri Harnam Singh and Bhag Mal, MLAs respectively, regarding the damage caused due to the heavy rains in the villages of Ambala and Kurukshetra Districts. I admit these. अब श्री हरनाम सिंह अपनी कालिंग अटैन्शन मोशन में इन मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद कन्सन्सर्ड मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे।

**\*हरनाम सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 2 अगस्त 1989 को नलवी राय माजरा, रायपुर सुलखनी आदि गांवों की हजारों एकड़ भूमि जिस पर धान की फसल बोई गई थी वर्षा तथा बाढ़ के पानी में डूब गई। एक सप्ताह तक पानी खड़ा रहने के कारण फसल तबाह हो गई। इस क्षेत्र के नलकूपों को भी भारी नुकसान हुआ है। इन गांवों की फसलों तथा नलकूपों को 1988 में भी नुकसान हुआ था। इस वर्ष बाढ़ को रोकने के लिये टांगरी डाईवर्सिन डैम के साथ लगती ड्रेन की सफाई का कार्य कार्यकारी अभियन्ता ड्रेनेज अम्बाला को

सौंपा गया था परन्तु उसने यह कार्य नहीं किया जिसके कारण इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। वर्ष 1988 तथा अब 1989 में किसानों को भारी वित्तीय हानि हुई है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। यदि सरकार द्वारा किसानों को सहायता देने के लिये तुरन्त कदम नहीं उठाए गए तथा बाढ़ को रोकने के लिये कार्यवाही नहीं की गई तो बढ़िया धान उगाने वाला क्षेत्र तबाह हो जाएगा। अतः मैं संबंधित मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे पगों बारे एक वक्तव्य दें।

**श्री भाग मल:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 22 तथा 24 अगस्त 1989 को जिला अम्बाला की तहसील छछरौली में भारी वर्षा से बहुत क्षति हुई है गांव उरजनी, नग्गल पट्टी तथा भांगेडा बाढ़ के पानी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा गरीब लोगों के अधिकांश मकान बह गए हैं जबकि दूसरों के पक्के मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। गांव बलोली, तारूवाला, दमोली माजरा तथा बहुत से अन्य गांवों में भी बहुत क्षति हुई है।

बाढ़ के पानी तथा भारी वर्षा के कारण चारा भी बेकार हो गया है तथा पशुओं को कठिनाई का सामना करना पड रहा है इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार किसानों को तत्काल राहत दें तथा इस बारे में संबंधित मंत्री एक वक्तव्य दें।

## वक्तव्य

### राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): स्पीकर साहब, 1 व 2 अगस्त 1989 को जिला कुरुक्षेत्र व अम्बाला में अच्छी वर्षा हुई और इसके पचास दिन इन दो जिलों में दूसरे सप्ताह में वर्षा हुई। अगस्त 1989 के तीसरे सप्ताह के पचास दिन इन जिलों में पुनः अच्छी वर्षा हुई, परन्तु यह वर्षा इतनी अधिक नहीं थी कि बाढ लाती। यद्यपि कुछ स्थानों में बांधों में दरार या दरिया का रुख बदलने से अधिक पानी आया तथापि नियमित व्यवधान में वर्षा होने से खड़ी फसलों को आमतौर पर लाभ हुआ।

2. यह कहना ठीक नहीं है कि जिला कुरुक्षेत्र के गांव नलवी राय माजरा, रायपुर, सुलखनी इत्यादि में हजारों एकड़ भूमि डूब गई और फसल नष्ट हो गई। उपायुक्त कुरुक्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गांव नलवी में लगभग 500 एकड़ कृषि भूमि तथा 25 नलकूप प्रभावित हुए तथा गांव राय माजरा में 100 एकड़ भूमि व 7 नलकूप प्रभावित हुए। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 में वर्णित अन्य दो गांवों में कोई नुकसान नहीं हुआ। इन गांवों में बाढ या भारी वर्षा से कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।

3. वर्ष 1988 में इन गांवों में 213 एकड़ कृषि क्षेत्र व 36 नलकूप बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और राज्य सरकार ने निर्धारित नार्म अनुसार पर्याप्त सहायता प्रदान की थी।

4. जहां तक माननीय सदस्य का यह विचार है कि यह हानि टांगरी डाईवे इन बन्ध के साथ लगती ड्रेन की सफाई न होने के कारण हुई है इस बारे में यह वर्णित है कि टांगरी डाईवे इन बन्ध के साथ कोई नियमित ड्रेन नहीं है। लेकिन टांगरी डाईवे इन बन्ध बनाते समय इस बन्ध के समीप से मिट्टी निकाली गई थी जिससे कुछ भाग में एक नाली सी बन गई और कुछ भाग में खड्डे बन गये कुछ स्थानों पर ग्रामीणों ने बन्ध के साथ लगती भूमि तक खेती की है और वहां पर फसल खड़ी है।

5. स्थानीय विधायक द्वारा मुख्य अभियन्ता ड्रेनेज तथा अन्य अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया था और उस समय यह सहमति हुई थी कि अगले बाढ के मौसम से पहले इस क्षेत्र से पानी की निकासी के लिये एक योजना को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

6. उपायुक्त अम्बाला ने बताया कि उनके जिले के कुछ गांव नामतः उरजनी नगलपट्टी, हरौली, बंगेरा, बंगेरी, तारूवाला, रायपुर, बलोली व दमोली माजरा, पथराला नदी में आये अधिक पानी व अम्बाला खोल में हुई दरार के कारण प्रभावित हुए। इन गांवों में से गांव उरजनी नगलपट्टी व भाहजहांपुर की माजरी बुरी तरह से प्रभावित हुए। नगलपट्टी गांव जोकि 130 कच्ची झोपडियों का समूह है में सभी झोपडियां प्रभावित हुई। अन्य गांवों में दगा इतनी बुरी नहीं थी। बाढ का पानी 10-12 घंटे के पचात उतरना चालू हो गया और स्थिति में सुधार हुआ। इस



जिला में 738 मकान प्रभावित हुए तथा केवल 240 एकड़ कृषि भूमि को नुकसान हुआ। दिनांक 25-8-89 को मकान के गिरने से एक 22 वर्षीय लड़की की मृत्यु हुई।

7. उपायुक्त अम्बाला ने प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिये तुरन्त कदम उठाये। बुरी तरह से प्रभावित गांवों से पानी से धिरे व्यक्तियों को गांव भाहपुर में एक स्कूल भवन में ठहराया गया। चार राहत कैम्प खोले गये जिसमें 650 व्यक्ति ठहरे और उन्हें खुराक के पैकेट बांटे गये। प्रभावित व्यक्ति इन कैम्पों में दो तीन दिन रहे। 10 चिकित्सा केंद्र भी खोले गये। प्रभावित आबादी को 27 क्विंटल गेहूँ व मुफ्त हरा चारा बांटा गया। बाढ़ से प्रभावित गांवों में विशेष गिरदावरी के आदे व दे दिये गये हैं।

यह ठीक नहीं कि बाढ़ से चारे की फसल खराब हुई और पशुओं को परेशानी हुई। दो दिन तक चारा पडौस के गांवों से लेकर उपलब्ध करवाया गया।

11.00 बजे

8. मैंने भी दिनांक 3-9-89 को प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया तथा प्रभावित व्यक्तियों को पेना आ रही कठिनाईयों को देखकर उपायुक्त अम्बाला को तुरन्त निर्देश दिये कि आटा व मिट्टी का तेल नियन्त्रित दरों पर उपलब्ध करवाया जायें। प्रमुख अभियन्ता जन स्वास्थ्य को निर्देश दिये गये कि गांव नगलपट्टी

में मनुश्यों के लिये पीने का पानी तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये क्योंकि वहां पर पानी की समस्या है। संबंधित अधिकारियों द्वारा इन हिदायतों की पालना की जा चुकी है।

9. उपायुक्त अम्बाला तथा कुरुक्षेत्र को सहायता कार्य के लिये निम्नलिखित राशि उपलब्ध की गई:-

क्रमांक	उद्देश्य जिसके लिये राशि दी गई	राशि लाखों में	
		अम्बाला	कुरुक्षेत्र
1.	मकानों की मुरम्मत के लिये अनुदान	4.00	0.50
2.	रिंग बांधों की मुरम्मत के लिये	5.00	3.72
3.	खुराक व कपडों के लिये	3.00	2.00
4.	सिरकियों की सप्लाई के लिये	0.20	0.20
5.	पुत्रों की मृत्यु के लिये मुआवजा	0.08	0.08

10. राज्य सरकार स्थिति से पूर्णतया जागरूक है तथा स्थिति का लगातार जायजा लिया जा रहा है।

11. वर्तमान नार्मज के अनुसार फसल को हानि 25 प्रति ात से कम हो तो कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। अगर फसल का नुकसान 25 प्रति ात से अधिक हो तो राज्य सरकार आबियानां के स्थगन/ मुआफी के बारे विचार करती है। अगर खराबा 50 प्रति ात से अधिक हो तो अल्पावधि सहकारी ऋणों को मध्यावधि सहकारी ऋणों में तबदील करने पर विचार करती है। मास अक्टूबर में गिरदावरी होगी और अगर खराबा नार्मज के अनुसार पाया गया तो आबियाना के स्थगन/मुआफी व सहकारी ऋणों के परिवर्तन बारे विचार किया जायेगा।

12. राज्य की वर्तमान नीति के अनुसार बाढ से हुए फसल के नुकसान के लिए कृशकों को कोई नगद मुआवजा नहीं दिया जाता। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने से नगद मुआवजा दिया जाता है। बाढ से फसलों को नुकसान होने की सूरत में कृशि इनपुट सबसिडी दी जाती है और गिरदावरी के परिणाम व उत्पादन के अनुमान प्राप्त होने पर ऐसी अदायगी पर विचार किया जायेगा।

13. मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि बाढ की स्थिति का मुकाबला करने के लिये पहले ही पूर्ण तैयारी की जाती है। मौनसून आरम्भ होने से पूर्ण राज्य सरकार बाढ सहायता प्रि ाक्षण ि ाविर लगाती है और बाढ की रोकथाम के कार्यों का सयुंक्त निरीक्षण किया जाता है तथा की गई तैयारी की समीक्षा

हेतु एक बैठक की जाती है ताकि वर्षा प्रारम्भ होने से पहले जहां कहीं भी आवश्यकता हो, उचित पग उठाये जा सकें।

14. मैं इस अवसर पर इस महान सदन को विवास दिलाना चाहता हूँ कि कृषकों व कृषि मजदूरों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने हर संभव प्रयत्न किये हैं और ऐसे प्रयत्न किये जाते रहेंगे।

**श्री हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, जिन गांवों में ट्यूबवैलों को हानि हुई है क्या वहां पर जिस तरहसे पिछले साल ट्यूबवैलों के बिल माफ किये गये थे इस बार भी बिल माफ किये जायेंगे? उन ट्यूबवैलों की मुरम्मत करने के लिए क्या इस साल भी सहायता दी जायेगी क्योंकि सरकार ने पिछली दफा यह सहायता दी थी। अब जो जो चीजें यहां पर कहीं गई हैं उनमें ट्यूबवैलों के बारे में सहायता शामिल नहीं है। क्या पिछले साल की तरह से इस बार भी ट्यूबवैलों पर सहायता दी जायेगी?

**श्री सूरज भान:** स्पीकर साहब, रिपोर्ट आने पर जिस तरह की सहायता पिछले साल दी गयी थी उस किस्म की सहायता लाजमी तौर पर दी जाएगी।

**श्री हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, एक टांगरी डाईवे का बंध है। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि इसे किस लिए बनाया गया है। इसमें जोहड नाला भी है। स्पीकर साहब, यह मोहडी के साथ है और आपके हल्के में भी इसका एरिया आता है।

इन दोनों टांगरी और जोहड नाला के लिये डाईवे इन बंध तो बना दिया गया लेकिन उसके पानी को निकालने के लिये ड्रेन नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या यह बात सरकार के दिवालियेपन की सूचक नहीं है कि दो नालों का पानी तो रोक लिया गया लेकिन उसके निकास के लिये कोई ड्रेन नहीं बनाई गयी? इस बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहेंगे?

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):** स्पीकर साहब, डाक्टर साहब, मेरे चैम्बर में आये थे और इन्होंने इस बारे में जिक्र किया था। मैंने चीफ इंजीनियर ड्रेनेज को इस इलाके में भेजा था। वह रिपोर्ट कल मुझे प्रस्तुत की गयी है उस पर हम जरूर ऐक् इन लेंगे।

**श्री भाग मल:** स्पीकर साहब, पथरावला नाले का कोई कोर्स मुकर्रर नहीं है। इस वजह से वहां पर घास उग जाती है। लोग वहां पर खेती भी कर लेते हैं। कोई कोर्स मुकर्रर न होने की वजह से हर साल वहां पर बाढ आती है। क्या सरकार के यह बात विचाराधीन है कि उसके लिये कोई कोर्स मुकर्रर किया जाये ताकि पानी निकल जाये और वहां पर घास वगैरा की सफाई करवायी जाये ताकि वहां पर बाढ से नुकसान न हो।

**श्री सूरज भान:** इस तजवीज को भाई वीरेन्द्र सिंह जी देख लेंगे।

**नियम 15 के अधीन प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मोान मूव करेंगे।

**Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):** Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting' of the Assembly indefinitely.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting' of the Assembly indefinitely.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting' of the Assembly indefinitely.

The motion was carried.

### नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मोान मूव करेंगे।

**Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):** Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, कल चूंकि बृहस्पतिवार है इसलिये प्राईवेट बिजनैस ट्रांजैक्ट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह बात आपने परसों कह ली थी। अब आप बैठें।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*

**Mr. Speaker:** Whatever he says without permission should not be recorded. Mr. Yadav, you have already raised this matter. This matter was discussed by the Business Advisory Committee decided the programme. This programme has been adopted by the House. You are nobody to challenge this programme now.

प्र न है—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर साईनेडाई ऐडजर्न रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत किया।

बिल्ज

### 1. दि हरियाणा ऐप्रोप्रिऐ ान (नं0 3) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दि हरियाणा ऐप्रोप्रिऐ ान (नं0 3) बिल, 1989 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिये मो ान मूव करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमन, मैं हरियाणा विनियोग (सं० ३) विधेयक १९८९ प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमन, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा विनियोग (सं० ३) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the House will consider the Bill clause by clause.

### **Clause 2**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 3**

**Mr. Speaker:** Question is-



That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Schedule**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of  
the Bill.

The motion was carried.

### **Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the Minister to move that the Bill be passed.

उपमुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## 2. दि हरियाणा म्युनिस्पल (अमेंडमेंट) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दि हरियाणा म्युनिस्पल (अमेंडमेंट) बिल, 1989 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिये मोान मूव करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (डा० मंगल सैन): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1989 प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमन, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Raghu Yadav will now speak. I should not say before hand but I expect you to be very relevant during your speech.

**श्री रघु यादव:** ठीक है जी, अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय ने [Error! Not a valid link.](#)1989 इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। यह एक स्वागत योग्य संशोधन विधेयक है। दरअसल आज यह जो सरकार विराजमान है यह बहुत बढ़िया सरकार है। यह सरकार गलतियां करती है और जब जनता का दवाब पडता है जनता विरोध करती है तो अपनी गलती मान लेती है अध्यक्ष महोदय, लोक राज लोक लाज से चलता है। अध्यक्ष महोदय, जब सीईओज को नगरपालिकाओं के अन्दर लगाया गया था तब इस सदन में कई माननीय सदस्यों व स्वयं उप-मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात का यहां पर विरोध किया था और हम सब इस मत के थे कि ऐसा करना हमारी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के विपरित है। हमें नगरपालिकाओं के नव निर्वाचित सदस्यों को पूरे अधिकार देने चाहिये। हमने खूब इस बात पर खूब जोर दिया लेकिन सरकार अपनी बात पर अडी रही और यह गलत काम करके ही मानी। जब विभिन्न नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों ने इस बात का विरोध किया और लोगों ने भी इस का जोरदार विरोध किया तो सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सरकार को अपनी गलती माननी पडी। जो अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय,

में एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी जो लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा खत्म करने की बात मंत्रिमंडल ने तय कर दी थी। ( और एवं व्यवधान)

### वाक आउट

**Mr. Speaker:** Mr. Yadav, I asked your to be very relevant. But you have made up your mind not to be relevant. (Interruptions) Please be relevant.

**Shri Raghu Yadav:** Sir, I am always relevant. I am appreciating the attitude of our Government. (Interruptions)

**Mr. Speaker:** No. no. You are never relevant. Please take your seat now.

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):** अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी यादव साहब इस प्रकार से बोलते हैं जो कि उनको भावना नहीं देता। उन्होंने कह दिया कि सरकार ने बड़ी भारी गलती की, यह सरकार जिद करने वाली सरकार है। लोगों का दवाब पड़ता है तो वह अपनी गलती मान भी लेती है। इस तरह की काफी बातें उन्होंने कहीं, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन अब हिन्दू सबसे इन एक्ट की बात कर दी और उसके बाद किसी और एक्ट की बात कर देंगे। उनको बोलते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए था कि आज हमारे बीच में से एक महान स्वतन्त्रता सेनानी चले गये है और हमें यहां इस तरह का माहौल पैदा नहीं करना चाहिये जिससे कि यहां आपस में तलखी का

वातावरण पैदा हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सभी माननीय सदस्यों से इस बात की प्रार्थना की है कि हम आज तीन बजे सरकारी तौर पर श्री लेखराम जी के होने वाले दाह संस्कार में भागमिल हो। इस लिये मैं अपने साथी से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर इस तरह की कडवाहट के बिना इस सदन की कार्यवाही चलती रहे तो बड़ी अच्छी बात है। वे इस तरह की कोई यहां पर बात न करें जिससे कि यहां का वातावरण बिगड़े।

**श्री रघु यादव:** अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह कहा कि महान स्वतन्त्रता सेनानी श्री लेखराम जी का निधन हो गया है और आज तीन बजे सरकारी तौर पर उन का दाह संस्कार किया जाना है। इसके साथ साथ एक और बात कह दी कि यहां पर कोई तलखी का वातावरण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम भी नहीं चाहते कि यहां पर कोई ऐसी तलखी वाली बात हो। (विघ्न)

चलो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, यह जनतंत्र के अनुरूप है कि जो सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होकर आए, अगर वह कोई गलती कर दे और जब उसे गलती का एहसास हो जाए तो वह उस गलती को ठीक कर दे। हमारे सदन के जो नेता है। चौधरी देवीलाल जी वे इसी भावना के हैं। पहले गलती करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकराज लोक लाज से चलता है। मुख्यमंत्री जी ने पहले पत्रकारों को बलैक मेलर और कांग्रेस का एंजेन्ट कहा और फिर अपने भाब्द वापिस ले लिये और

माफी मांग ली। आज हमारे इस सत्र में सत्रावधान हो रहा है। ( तौर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी इस महीने की 25 तारीख को 75 साल के होने वाले हैं लेकिन कुछ दिन पहले अखबारों में उनका एक बयान छपा जिसमें उन्होंने अपने को 77 साल का बताया था। एक बयान श्री वीपी सिंह जी के बारे में उन्होंने दिया कि वह उन्हें अपना नेता नहीं मानते। मैं 77 साल का हूँ। वीपी सिंह की जितनी उम्र है उतनी तो मेरी पौलिटिकल लाईफ है।

**Mr. Speaker:** This is not the way. You are again irrelevant. I won't allow you to speak like this. (Interruptions). Please take your seat. I now call upon Shri Kailash Chand Sharma to speak.

**श्री रघु यादव:** तो फिर मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय श्री रघु यादव सदन से वाक-आउट कर गए।)

### दि हरियाणा म्युनिस्पल (अमेंडमेंट) बिल, 1987 (पुनरारम्भ)

**श्री कैला । चन्द भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री, डा० मंगल सैन जी का स्वागत करता हूँ जिन्होंने हरियाणा की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मांग को स्वीकार किया है। ऐसा करके आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने साबित कर दिया है कि लोक राज लोक लाज से चलता है।

चौधरी साहब, जो बात कहते हैं वास्तव में वे उसका पालन भी करते हैं। ऐसा उन्होंने अनेक बार सिद्ध किया है। जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंपने के लिये जो यह बिल लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। फिर भी इस विषय में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सीईओ के स्थान पर सेक्रेटरी को पावर दी जाएगी। मुझे लगता है कि इसके बाद बाई लाज बनेंगे। उसके लिए मेरी मांग है कि जनतंत्र के अन्दर सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। इसी लिए यह भावित उनको ही दी जाए। मुझे आशा है कि बाई लाज बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

**श्री हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, मैं केवल यह अर्ज करना चाहता हूँ कि दिन का भूला हुआ चूँकि रात को घर आ गया है इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ और बिल का समर्थन करता हूँ।

**उप-मुख्यमंत्री:** अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस बिल पर बोलते हुए श्री कैलाश जी ने कहा कि सीईओ की जगह ईओ या सेक्रेटरी को पावर दे दी गई है। यह बात भाग्यद जल्दी में हो गई। आप विचार रखें हमारे सदन के नेता की जो लोकतंत्र और जन प्रतिनिधियों में आस्था है उसको हमने बहाल किया है और जो कुछ कमियाँ रह गई होंगी

उनको हम रूल्ज बनाते वक्त दूर कर देंगे। हम पावर की डिस्ट्रीब्यू इन इस तरीके से करेंगे कि उसमें जन प्रतिनिधियों की वरीयता हो लेकिन चैक एंड बैलेन्स जरूर रहेगा। मेरे एक भाई एक बात कहना चाह रहे थे लेकिन उनको कहनी नहीं आई। आज क्योंकि सदन उठ रहा है और 25 सितम्बर को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की आयु 75 साल की हो रही है इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे कम से कम सौ साल की आयु तक हमारा नेतृत्व करें। धन्यवाद।

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the House will consider the Bill clause by clause.

### **Clause 2 to 8**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.



The motion was carried.

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of  
the Bill.

The motion was carried.

**Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the Deputy Chief Minister will  
move that the Bill be passed.

**Deputy Chief Minister (Dr. Mangal Sein):** Sir, I  
move-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टि नर्ज (हरियाणा अमेंडमेंट एण्ड वैलिडे ान) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब हैल्थ एंड आयुर्वेद मिनिस्टर पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टि नर्ज (हरियाणा अमेंडमेंट एण्ड वैलिडे ान) बिल, 1989 को इन्ट्रोडयूस करेंगी तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेगी।

हैल्थ एंड आयुर्वेद मंत्री (श्रीमति कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा सं ाोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1989 को प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं—

कि पंजाब होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा सं ाोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the House will take up the Bill clause be clause.

### **Clause 2 to 3**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 to 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

### **Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the Minister will move that the Bill be passed.

हैलथ एंड आयुर्वेद मंत्री (श्रीमति कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That the Bill be passed.

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक (जुलाना): स्पीकर साहब, प्रपोजड सैव इन 16, ए में लिखा है कि—

“the registration shall be got renewed after every five years within one month of the expiry of the period of registration on payment of such fee as may be prescribed.”

इसमें जो ऑफ दि ऐक्सपायरी ऑफ लिखा है इसकी जगह आफटर वर्ड होना चाहिए क्योंकि रूल्ज के सैव इन 16 में आफटर वर्ड है। मैं आपको रूल्ज की सैव इन 16 भी पढ़ कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि—

“Every registered practitioner shall get his registration renewed every year within 30 days after the due date by payment of a fee of Rs. 10 only.”

इसलिए मेरा सुझाव है कि औफ दि ऐक्पायरी औफ की बजाय वर्ड आफटर होना चाहिए।

**स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री (श्रीमति कमला वर्मा):**  
अध्यक्ष महोदय अगर कोई डा० रिन्यूअल फीस जमा नहीं करवाता तो हम उसको एक महीने का टाईम देते हैं अगर वह उस एक महीने में भी अपनी फीस जमा नहीं करवाता और बाद में अपील करता है तो उससे एडी टनल फीस ले कर हम उसे दोबारा रिन्यू कर देते हैं पहले एक साल के बाद 10 रूपए रिन्यूअल फीस जमा करवानी पड़ती थी। अब इस तरमीम के तहत 5 साल के बाद 50 रूपए रिन्यूअल फीस जमा करवाई जाएगी ताकि डाक्टर को बार बार रिन्यूअल फीस जमा करवाने के लिए न आना पड़े।

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

#### 4. दि हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1989

**Mr. Speaker:** Now the Education Minister will introduce the Haryana Public Libraries Bill, 1989 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

शिक्षा मंत्री (श्रीमति सुशमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 1989 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ।

कि हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Public Libraries Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Public Libraries Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the House will consider the Bill clause by clause.

### **Sub-Clause 2 and 3 of Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Sub-Clause 2 and 3 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 2 to 24**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 to 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Sub-Clause 1 of Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

**Title**

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the Minister will move that the Bill be passed.

शिक्षा मंत्री (श्रीमति सुशमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**श्री हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से केवल यही कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक अपनी जगह पर बड़ा अहम विधेयक है। इसकी नोटिफिके 11 नवंबर को हुई है इसलिए हमें इसको पढ़ने, समझने और कोई अमेंडमेंट देने का समय बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को अगले सत्र में ले आते तो हमें इसको पढ़ने और समझने का पूरा मौका मिल जाता।

**शिक्षा मंत्री (श्रीमति सुशमा स्वराज):** अध्यक्ष जी, इससे पहले मैं यह सदन से प्रार्थना करूँ कि यह विधेयक पारित किया जाए, इस बिल के संबंध में मैं एक दो बातें कहना चाहूँगी। कामरेड हरनाम सिंह जी ने जो जिज्ञासा रखी है उसको भांति करते हुए मैं सदन के सदस्यों को यह बताना चाहूँगी कि यह बिल कोई विवादस्पद बिल नहीं है। यह बिल सार्वजनिक हित का बिल है। मैं सदन के सदस्यों को बहुत गर्व के साथ इस बात को सूचना देना चाहती हूँ कि उत्तर भारत में हरियाणा पहला राज्य है जो यह विधेयक ला रहा है। इससे पहले तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मनीपुर और पश्चिमी बंगाल वगैरा इन राज्यों में तो इस तरह के बिल बने हैं लेकिन उत्तर भारत में किसी भी राज्य में इस तरह के बिल अभी तक नहीं बना है। उत्तर भारत में हरियाणा ने इस बिल को लाने में पहल की है और प्राथमिकता से



इस बिल को हमारी सरकार लाई है। यह बिल केवल स्वाध्याय में रुचि पैदा करने के लिए बनाया गया है क्योंकि फौरमल शिक्षा के साथ साथ स्वाध्याय में आम लोगों में रुचि बढे, इसके लिए हम हरियाणा में लाईब्रेरी को एक आन्दोलन के रूप में बनाना चाहते हैं और उसी उददेश्य की पूर्ति यह बिल करता है। इसमें किसी तरह की भांका या जिज्ञासा कामरेड हरनाम सिंह को या किसी दूसरे साथी को अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। इस बिल में ऐसी कोई क्लॉज या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कोई विवाद खडा कर सके बल्कि यह बिल सार्वजनिक हित के लिए स्वाध्याय में रुचि पैदा करने के लिए है। अध्यक्ष जी, ये बातें कहते हुए मैं फिर यह प्रार्थना करती हूँ।

कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## 6. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमेंडमेंट एण्ड वैलिडे ान) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब ऐक्सार्ज एण्ड टैक्से ान मिनिस्टर दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमेंडमेंट एण्ड वैलिडे ान) बिल, 1989 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

**Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain):**

Sir, I introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) and Validation) Bill, 1989.

I also move-

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the House will consider the Bill clause by clause.

**Clause 2 to 11**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 to 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

### **Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री (श्रीमति कमला वर्मा):  
अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

**5. दि हरियाणा कौरनियल ग्राफटिंग (अमैंडमैंट) बिल,  
1989**

**श्री अध्यक्ष:** अब हैल्थ एंड आयुर्वेद मिनिस्टर दि हरियाणा कौरनियल ग्राफटिंग (अमैंडमैंट) बिल, 1989 को इन्ट्रोडयूस करेंगी तथा उसे कंसीडर करने के लिए मोान मूव करेगी।

**हैल्थ एंड आयुर्वेद मंत्री (श्रीमति कमला वर्मा):** अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा कौरनियल ग्राफटिंग (अमैंडमैंट) बिल, 1989 को प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ—

कि हरियाणा कौरनियल ग्राफटिंग (अमैंडमैंट) बिल, 1989 को तुरन्त विचार किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Corneal Grafting (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Corneal Grafting (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the House will consider the Bill  
clause be clause.

**Clause 2 to 7**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of  
the Bill.

The motion was carried.

**Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the Minister will move that the Bill be passed.

**Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain):**  
Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस सर्वाइने डाई ऐडजर्न किया जाता है ।

**\*11.36 बजे**

(तत्प चात सदन अनि चत काल के लिए \*स्थगित हुआ ।)